[2020] 7 एस. सी. आर. 789

राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक

भारत का विपणन संघ

वी.

एलिमेंटा एस. ए.

(2012 की सिविल अपील No.667)

22 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961: एस. 7 नाफेड और एलिमेंटा एस. ए. के बीच निर्यात के लिए समझौता मौसम के लिए मूंगफली (वस्तु) 1979-80-समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल था-नियम और शर्तें तदनुसार थीं

एफ. ओ. एस. एफ. ए. 20 अनुबंध, अनुबंध का एक मानक रूप-नाफेड भारत सरकार के लिए वस्तुओं के निर्यात के लिए एक नहर बनाने वाली एजेंसी थी-समझौते में खंड 14 यह था कि कार्यकारी आदेश या कानून द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध की स्थिति में, समझौते को रद्द माना जाएगा-नाफेड चक्रवात से फसल को हुए नुकसान के कारण पूरी मात्रा का निर्यात नहीं कर सका-सरकार ने नाफेड को पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता को अगले वर्ष तक आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी-सरकार द्वारा इनकार करने के कारण, नाफेड के लिए एलिमेंटा को वस्तु की आपूर्ति करना संभव नहीं था।

एस में परिकल्पित सार्वजनिक नीति के खिलाफ मौलिक कानून का उल्लंघन। 7 1961 के अधिनियम के अनुसार-सरकार की अनुमति के बिना किसी भी निर्यात की अनुमति नहीं थी और सरकार की सहमति के बिना, कोटा को अगले सत्र के लिए अग्रेषित नहीं किया जा सकता था। एफ. ओ. एस. एफ. ए. समझौते के खंड 14 में पक्षों द्वारा सहमत आकस्मिकता होने पर, अनुबंध प्रदान किया गया था। एस के तहत अप्रवर्तनीय। 32 अनुबंध अधिनियम-इस प्रकार नाफेड

विदेशी पुरस्कार के तहत नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

अनुबंध अधिनियम, 1872। 32 - इसकी प्रयोज्यता-आयोजितः अनुबंध अधिनियम की धारा 32 उस स्थिति में लागू होती है जब समझौता स्वयं प्रावधान करता है -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आकस्मिकताएँ जिनके होने पर अनुबंध नहीं किया जा सकता है

बाहर और परिणाम प्रदान करें-इस मामले में, अनुबंध अधिनियम की धारा 32 आकर्षित करती है न कि धाराओं के प्रावधान। 56 - यह एक समझौता था

अनुमति के बिना अपने आप में असंभव कार्य करना, और जिसे एस द्वारा शून्य घोषित किया जाता है। 32 - विदेशी पुरस्कार (मान्यता और सम्मान)

प्रवर्तन) अधिनियम, 1961।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अनुबंध अधिनियम की धारा 32 आकस्मिक अनुबंधों को लागू करने का प्रावधान करती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 56 एक असंभव कार्य करने या बाद में असंभव या गैरकानूनी होने वाले कार्यों को करने के समझौते से संबंधित है। यह वचनदाता के दायित्व के लिए कुछ ऐसा करने का भी प्रावधान करता है जिसे वह जानता था या उचित परिश्रम के साथ जानता था-एक ऐसा कार्य जो असंभव या गैरकानूनी है; इस प्रकार, वचनदाता को वचन का पालन न करने के लिए मुआवजा देना चाहिए। [पारस 45,46] [812-सी, जी-एच]

डेविस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड बनाम फरेहम शहरी जिला परिषद (1956) 2 सभी ई. आर. 145; त्साकिरोग्लो एंड कंपनी लिमिटेड v. नोबली और थोर्ल जीएमबीएच, [1961] 2 ऑल ईआर 179; ओशन ट्रैम्प टैंकर कॉर्पोरेशन बनाम। वी/ओ सोवफ्राक्ट, [1964] 1 ऑल ई. आर. 161; नेशनल कैरियर्स लिमिटेड v. पनालपिना (उत्तरी) लिमिटेड,

[1981] 1 सभी ई. आर. 161; पायनियर शिपिंग लिमिटेड और अन्य। वी. बीटीपी डाइऑक्साइड लिमिटेड ; द नेमा, (1981) 2 ऑल ईआर 1030; पाल विल्सन एंड कंपनी ए/एस बनाम। पार्टेन्रीडेरी हन्ना ब्लूमेंथल; द हन्ना ब्लूमेंथल, [1983] 1 ऑल ई. आर. 34; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। , (2016) 13 एससीसी

561 संदर्भित किया गया।

1.2 अनुबंध अधिनियम की धारा 32 उस स्थिति में लागू होती है जब समझौता स्वयं आकस्मिकताओं के लिए प्रदान करता है

कौन सा अनुबंध पूरा नहीं किया जा सकता है और परिणाम प्रदान करता है। इस मामले में, धारा 32 के प्रावधान अनुबंध अधिनियम आकर्षित करता है न कि धारा 56। यदि कोई कार्य भविष्य की तारीख में असंभव हो जाता है, और उस समझौते में वह अनिवार्यता प्रदान नहीं की जाती है जिसके घटित होने पर अनिवार्यता, असंभव या गैरकानूनी, वचनदाता का कोई नियंत्रण नहीं था जिसे वह रोक नहीं सकता था, तो अनुबंध अमान्य हो जाता है जैसा कि धारा 56 में प्रदान किया गया है।

हालांकि, धारा 56 भारत के राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन संघ के लिए भी दायित्व प्रदान करती है। ALIMENTAS.A।

कारण जहां वचनदाता कुछ ऐसा करने के लिए सहमत हो गया है जिसे वह जानता था या उचित परिश्रम के साथ जानता था और जिसे वचनदाता असंभव या गैरकानूनी नहीं जानता था। इस तरह के वचनदाता को इस तरह के वादे के लिए मुआवजा देना चाहिए और वह नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 56 का उत्तरार्द्ध तब लागू होता है जब वचनदाता को पता नहीं था कि कार्य असंभव या गैरकानूनी है और यह कि वचनदाता को यह पता नहीं था; कार्रवाई असंभव या गैरकानूनी थी या उचित परिश्रम के साथ पता चल सकता था। [पैरा 47] [813-ए-सी]

एक आकस्मिक अनुबंध के लिए सहमत। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सरकार की कार्यपालिका या विधायी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि समझौते के खंड 14 में प्रदान किया गया है। इस प्रकार, इस मामले में, अनुबंध अधिनियम की धारा 32 आकर्षित होती है न कि धारा 56 के प्रावधान। यह एक अधिनियम करने का समझौता था

अनुमति के बिना अपने आप में असंभव है, और इसे धारा 32 द्वारा शून्य घोषित किया जाता है। नाफेड एक नहर बनाने वाली एजेंसी थी और कर सकती थी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आपूर्ति नहीं की है, और न ही यह कानूनी रूप से पिछले वर्ष की आपूर्ति को अगले वर्ष तक आगे बढ़ा सकता है, जिसे बनाने के लिए बहुत सीमित कोटा और सरकारी अनुमति की आवश्यकता थी। इस तरह के पुरस्कार का प्रवर्तन

निर्यात नीति और सरकारी आदेश का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 7 में परिकल्पित है।

1961. [पारस 48,52] [813-डी-ई; 821-ए-बी]

सत्यव्रत घोष बनाम। मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी, ए. आई. आर 1954 एस. सी. 44: [1954] एस. सी. आर. 310; नैहाटी जूट मिल्स लिमिटेड।

वी. ख्यालाराम जगन्नाथ, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 522:

[1968] 1 एस. सी. आर. 821; बूथलिंगा एजेंसियां बनाम। वी. टी. सी. पोरियास्वामी नादर, ए. आई. आर 1969 एस. सी. 110: [1969] 1 एस. सी. आर. 65; श्रीमती सुशीला देवी और ओआरएस। वी. हरि सिंह और ओआरएस। (1971) 2 एस. सी. सी. 288 [1971] पूरक। एससीआर 671

संदर्भित किया गया।

नारायण चंद्रशेखर शेनॉय और ब्रदर्स। एकमात्र मालिक नारायण शानबोग बनाम। आर. पलानीअप्पा

मुदलियार, ए. आई. आर. 1952 मैड। 670 ; राम कुमार बनाम। पी. सी. रॉय एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 कैल. 335 (338) ; कुंजीलाल मनोहर दास बनाम। दुर्गा प्रसाद देवी प्रसाद, आकाशवाणी 1920

कैल। 1021 संदर्भित किया गया।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. नाफेड के लिए इसे प्रभावित करना गैरकानूनी होता

अनुमति देने के लिए सरकार के इनकार को देखते हुए आपूर्ति, और दोनों पक्ष इसे अच्छी तरह से जानते थे और इस बात पर सहमत थे कि अनुबंध को इस तरह की आवश्यकता में रद्द कर दिया जाएगा

मात्रा में आपूर्ति करें। इस प्रकार, वे समझौते से बंधे थे। पुरस्कार पूर्व-मान लिया जाता है कि आपूर्ति के बाद किया जा सकता था

सरकार का इनकार। अगर आपूर्ति की गई होती, तो यह गैरकानूनी होता। इस प्रकार, पक्षकार इसे रद्द करने के लिए सहमत हुए क्योंकि इस तरह का पुरस्कार भारत में लागू बुनियादी कानून और सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। [पैरा 57] [825-ए-बी]

धारा 7 (1) (ए) (आई) यदि लागू कानून के तहत समझौते के पक्ष कुछ अक्षमता या समझौते के तहत मान्य नहीं हैं कानून के तहत। इसी तरह की अनिवार्यता धारा 7 (1) (ए) (ii) में प्रदान की गई है।

यदि मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी जाती है या पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ था। धारा 7 (1) (ए) (iii) में यह प्रावधान है कि यदि पुरस्कार उन प्रश्नों से संबंधित है जिनका उल्लेख नहीं किया गया है या जिनमें प्रश्न शामिल हैं।

समझौते के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाते हैं। धारा 7 (1) (ए) (iv) एक पुरस्कार को मध्यस्थता की संरचना के मामले में प्रवर्तन में सक्षम नहीं बनाती है। न्यायाधिकरण या प्रक्रिया पक्षों के समझौते के अनुसार नहीं है। [पैरा 60] [826-जी-एच; 827-ए-बी]

रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.,

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड v. सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705: [2003] 3 एस. सी. आर. 691; श्री लाल महल

सीमित वी। प्रोजेटो ग्रानो स्पा, (2014) 2 एस. सी. सी. 433:

[2013] 13 एससीआर 599; एसोसिएट बिल्डर्स बनाम। दिल्ली

विकास प्राधिकरण, (2015) 3 एससीसी 49 [2014] 13

एससीआर 895; सैन्योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी।

लिमिटेड वी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई),

(2019) 8 स्केल 41; केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन

निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्र।

(1986) 3 एससीसी 156: [1986] 2 एस. सी. आर. 278-संदर्भित।

भारत का राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन संघ v. ALIMENTAS.A।

3.2 एफ. ओ. एस. एफ. ए. समझौते का खंड 14 और कानून के अनुसार

भारत में लागू, कोई भी निर्यात सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता था, और नाफेड आपूर्ति करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए मौसम 1980-81 में कोई अनुमति नहीं थी, उसे सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। आकस्मिकता होने पर अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के तहत यह अमान्य हो गया। इस प्रकार, यह मध्यस्थता समझौते की स्पष्ट शर्तों के कारण दायित्व को कम करने के लिए खुला नहीं था

नाफेड ने हर्जाने का भुगतान किया क्योंकि अनुबंध अमान्य हो गया था। अगले सत्र में पिछले वर्ष की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं थी और फिर सरकार ने नाफेड को आपूर्ति करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, इस तरह के निर्णय को लागू करना भारत की मौलिक सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा, तब की गई कोई भी आपूर्ति निर्यात से संबंधित भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगी, जिसके लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में निहित प्रावधानों को देखते हुए पुरस्कार को लागू करने योग्य नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, पुरस्कार अप्रवर्तनीय है, और उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने में कानूनी रूप से गलती की है

अन्यथा एक निष्पक्ष तरीके से। इस प्रकार नाफेड को विदेशी पुरस्कार के तहत हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। [पारस 68,69,80] [842-एफ-एच; 843-ए-सी; 850-जी]

एल. आर. द्वारा मनोहर लाल (मृत)। वी. एलआर द्वारा उग्रसेन (मृत)।

& ओआरएस। , (2010) 11 एससीसी 557: [2010] 7 एससीआर 346; सी. एल. सुब्रमण्यम बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कोच्चि (1972) 3 एस. सी. सी. 542: [1972] 3 एस. सी. आर. 485; बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल बनाम। दिलीप कुमार राघवेंद्रनाथ नाडकर्णी और अन्य। (1983) 1 एससीसी 124: [1983] 1 एस. सी. आर. 828; पंजाब और अन्न राज्य। वी. शामलाल मुरारी और अन्न। , (1976) 1 एससीसी 719: [1976] 2 एस. सी. आर. 82; कैलाश बनाम नानखु और ओआरएस। , (2005) 4 एससीसी 480 [2005] 3 एससीआर

289 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2016) 13 एस. सी. सी. 561

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 310

पै

रा 49

संदर्भित किया गया है

[1968] 1 एससीआर 821

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[1969] 1 एससीआर 65

संदर्भित किया गया है

[1971] पूरक। एससीआर 671

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[1986] 2 एससीआर 278

पै

रा 62

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पै

रा 63

[2003] 3 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पै

रा 64

[2013] 13 एससीआर 599

पै

रा 65

संदर्भित किया गया है

[2014] 13 एससीआर 895

पै

रा 66

संदर्भित किया गया है

(2019) 8 स्केल 41

पै

रा 67

संदर्भित किया गया है

[2010] 7 एससीआर 346

संदर्भित किया गया है

पै

रा 71

[1972] 3 एससीआर 485

पै

रा 73

संदर्भित किया गया है

[1983] 1 एससीआर 828

संदर्भित किया गया है

पै

रा 73

[1976] 2 एससीआर 82

संदर्भित किया गया है

पै

रा 75

[2005] 3 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 667

2012 .

उच्च न्यायालय के 28.01.2000 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1993 के मुक़दमा सं. 1885 में नई दिल्ली में दिल्ली का मुक़दमा।

श्याम दीवान, सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदित्य विजय कुमार,

सुश्री लिजा बरुआ, सुनील मैथ्यूज, सुश्री अक्षिता कटोच, उदयादित्य बनर्जी, चित्रांशुल ए. सिन्हा, अनुराग तिवारी, सुश्री सबा इकबाल सिद्दीकी, सुश्री आदित्य चड्ढा, शैलेंद्र स्वरूप, सुश्री बिंदु सक्सेना, सुश्री अपराजित स्वरूप, ध्रुव चंद सक्सेना, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर इनायत, सुश्री गुंजन माथुर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. वर्तमान अपील में शामिल प्रश्न प्रवर्तनीयता है।

विदेशी पुरस्कार। इसकी प्रवर्तनीयता के लिए मुख्य आपत्तियाँ हैं (i) क्या सरकार के इनकार के कारण नेफेड मूंगफली के निर्यात के संविदात्मक दायित्व का पालन करने में असमर्थ था? ; ((ii) क्या नाफेड को विशेष रूप से समझौते के खंड 14 को देखते हुए नुकसान का भुगतान करने के अनुबंध के उल्लंघन में उत्तरदायी ठहराया जा सकता था? ; और (iii) क्या पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है?

राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

2. नेफेड और एलिमेंटा एस. ए. ने 5,000 मीट्रिक टन भारतीय एच. पी. एस. मूंगफली (संक्षेप में, "वस्तु") की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया। अनुबंध के खंड 11 में प्रावधान किया गया है कि नियम और शर्तें एफ. ओ. एस. एफ. ए., 20 अनुबंध के अनुसार होंगी, जो अनुबंध का एक मानक रूप है जो सी. आई. एफ. अनुबंध से संबंधित है। जो अनुबंध किया गया था वह फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) अनुबंध नहीं था। 3. नेफेड भारत सरकार के लिए वस्तु के निर्यात के लिए एक नहर बनाने वाली एजेंसी थी। किसी भी निर्यात के लिए, जिसे पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक आगे बढ़ाया जाना है, नाफेड को एक नहर बनाने वाली एजेंसी होने के नाते भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति और सहमति की आवश्यकता होती है। उक्त समझौता नाफेड द्वारा किया गया था

एलिमेंटा एस. ए. 765 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (बोर्ड पर निःशुल्क) की दर से। अनुबंध सीज़न 1979-80 के लिए था। 5000 मीट्रिक टन की अनुबंधित मात्रा के साथ, केवल 1900 मीट्रिक टन की ढुलाई की जा सकी। सौराष्ट्र क्षेत्र में चक्रवात आदि से फसल को हुए नुकसान के कारण शेष मात्रा को नहीं भेजा जा सका। 12.1.1980 दिनांकित समझौता पहला समझौता था। लेन-देन समझौते के खंड 14 में निहित बल प्रयोग और निषेध जैसे समझौतों द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिसके तहत कार्यकारी आदेश या कानून द्वारा निर्यात के निषेध के मामले में, समझौते को रद्द माना जाएगा।

4. 3.4.1980 पर, नाफेड ने दूसरे समझौते को निष्पादित किया

एलिमेंटा एस. ए. 770 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से 4,000 मीट्रिक टन वस्तु का निर्यात करेगी। दोनों अनुबंधों के लिए शिपमेंट अवधि अगस्त-सितंबर, 1980 थी। 3.4.1980 दिनांकित दूसरा समझौता अपील में विवाद का विषय नहीं है।

5. अगस्त 1980 में, नाफेड ने पहले समझौते की प्राप्ति में केवल 1900 मीट्रिक टन वस्तु भेजी। 3100 के शेष स्टॉक

सरकारी प्रतिबंधों के कारण मीट्रिक टन वस्तुओं को निर्धारित समय के अनुसार नहीं भेजा जा सका।

मौसम। आई. डी. 1 पर पहले समझौते में एक और परिशिष्ट निष्पादित किया गया था, जिसके तहत विवादित पहले समझौते के तहत शेष 3100 मीट्रिक टन के लिए वस्तु के शिपमेंट की अवधि को नवंबर-दिसंबर, 1980 में बदल दिया गया था। 7. 8.10.1980 पर, [2020] 7 एस. सी. आर. में से 3100 मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिए पक्षों के बीच पहले समझौते के दूसरे परिशिष्ट को निष्पादित किया गया।

वस्तु। यह सहमति हुई कि वस्तु को नए दोहरे बोरे में पैक किए गए मौसम के दौरान भेजा जाएगा, जिसमें खरीदारों को 15 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त लागत का भुगतान करना होगा। 8. यह उल्लेख करना उचित है कि नाफेड को भारत सरकार से तीन साल के लिए निर्यात में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी।

1977-80 लेकिन निर्यात नियंत्रण आदेश के तहत ले जाने की कोई अनुमति नहीं थी

मौसम 1979-80 के लिए निर्यात को वर्ष 1980-81 में अग्रेषित करें। परिशिष्ट के निष्पादन के समय, नाफेड ने दावा किया कि वह परिशिष्ट में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अधिकार नहीं होने की उक्त स्थिति से अनजान था।

9. 21.11.1980 पर, नाफेड ने इस तथ्य की उपेक्षा में पहला परिशिष्ट करने का इरादा किया कि उसे मौसम के लिए निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए निर्यात नियंत्रण आदेश के तहत कोई अनुमति नहीं थी

1979-80 अगले वर्ष 1980-81 तक। के लिए एक नहर बनाने वाली एजेंसी होने के नाते

भारत सरकार, नाफेड अगले वर्ष के लिए आपूर्ति को आगे नहीं बढ़ा सकी। नाफेड ने अनुदान के लिए भारत सरकार से संपर्क किया

अनुमति ली।

10. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांकित 1.12.1980 पत्र के माध्यम से नाफेड को कोई भी बची हुई मात्रा नहीं भेजने का निर्देश दिया

पिछले वर्षों से। यह स्पष्ट किया गया कि वस्तुओं का निर्यात एक कोटा प्रणाली के तहत प्रतिबंधित था और नाफेड पिछले वर्षों की प्रतिबद्धता को अगले वर्ष तक आगे नहीं बढ़ा सकता था। नाफेड द्वारा की गई प्रतिबद्धता पर आपत्ति जताई गई थी। इसके अलावा, एक साल के भीतर वस्तु की कीमत मौजूदा कीमत से तीन गुना बढ़ गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त कारणों से, भारत सरकार ने नाफेड को पिछले वर्ष के अनुबंध को लागू नहीं करने के लिए कहा। यह एक विशेष मौसम के लिए था। 11. 6.12.1980 और 9.12.1980 पर, नाफेड ने फिर से भारत सरकार से अनुबंधों के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चालू सत्र में कोटा जारी करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। सरकार ने अनुमति नहीं दी। नेफेड ने एलिमेंटा एस. ए. को सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण फसल के शिपमेंट के लिए जहाज को नामित न करें।

12. 29.12.1980 पर एलिमेंटा एस. ए. ने नाफेड द्वारा भेजे गए 20.12.1980 दिनांकित टेलेक्स संदेश को बनाने के लिए किए गए डिफ़ॉल्ट नोटिस के रूप में माना

आपूर्ति। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन के माध्यम से पिछले वर्ष के अनुबंध के खिलाफ निर्यात की अनुमति देने के नाफेड के अनुरोध को आखिरकार खारिज कर दिया

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

दिनांक 27.01.1981 प्रतिबंधित निर्यात नीति और कोटा सीमा के कारण।

अलीमेंटा एस. ए. ने 5.2.1981 पर नाफेड को अंतिम प्रस्ताव देने का अंतिम अवसर प्रदान किया, अन्यथा, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और उनके नामित श्री ए. जी. स्कॉट होंगे। तदनुसार, नाफेड था

13. 13.2.1981 पर, नाफेड ने अलीमेंटा एस. ए. को सूचित किया कि सरकार के कारण अनुबंधित मात्रा का निर्यात संभव नहीं था इस तरह के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत की कार्यकारी कार्रवाई।

14. अंततः, एलिमेंटा एस. ए. ने फेडरेशन ऑफ ऑयल, सीड्स एंड फैट्स एसोसिएशन लिमिटेड (एफ. ओ. एस. एफ. ए.), लंदन के समक्ष 13.2.1981 पर मध्यस्थता कार्यवाही दायर की। नाफेड को 21 के भीतर एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा गया था दिन होते हैं। एलिमेंटा एस. ए. ने टेलीक्स दिनांक 18.2.1981 के माध्यम से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी नोटिसों के मूल और उन तारीखों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिन पर उनकी पुष्टि की गई थी। नेफेड ने अलीमेंटा एस. ए. को अपने टेलेक्स के माध्यम से भारत सरकार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को 23.2.1981 दिनांकित पत्र के माध्यम से भेजा और उसे एफ. ओ. एस. एफ. ए. मध्यस्थता की एक प्रति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

नियम, जो एलिमेंटा एस. ए. द्वारा नाफेड को 24.2.1981 पर प्रदान किए गए थे। नाफेड ने 5.03.1981 पर मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे 10.3.1981 पर बढ़ा दिया गया था। 15. नाफेड ने एलिमेंटा एस. ए. और उनके मध्यस्थों के खिलाफ 1981 के ओ. एम. पी. No.41 वाली याचिका दायर की।

दिल्ली। एलिमेंटा एस. ए. और एफ. ओ. एस. एफ. ए. को इस आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने से रोकने की प्रार्थना की गई थी कि समझौते में मध्यस्थता के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। उस पर 20.3.1981 , उच्च न्यायालय ने 22.4.1981 तक मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगा दी। नाफेड ने अपने तार दिनांक 23.3.1981 द्वारा ठहराव के आदेश की सूचना दी

एलिमेंटा एस. ए.

16. अंतरिम रोक के आदेश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए

20.3.1981 उच्च न्यायालय द्वारा, एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने अपने टेलेक्स द्वारा नेफेड से 20.4.1981 द्वारा अपनी ओर से मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया, जिसमें विफल रहने पर एफ. ओ. एस. एफ. ए. नेफेड की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा।

17. 9.4.1981 पर, नेफेड ने अपने वकील के माध्यम से टेलेक्स संदेश के माध्यम से एफ. ओ. एस. एफ. ए. को सूचित किया कि उसके पास मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के आदेश और एलिमेंटा एस. ए. या एफ. ओ. एस. एफ. ए. के श्री स्कॉट द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को देखते हुए अवैध और अमान्य होगा। 22.4.1981 पर, मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आया। एलिमेंटा एस. ए. की ओर से वकील को [2020] 7 एस. सी. आर. दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था।

जवाब दें; मामले को 27.7.1981 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन के अंतरिम आदेश को तदनुसार 21.7.1981 तक बढ़ा दिया गया था।

18. हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए, एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने श्री एफ. ए. डी. राल्फ को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया।

23.4.1981 पर नाफेड। इस प्रकार, नाफेड ने आग्रह किया कि वह अपने नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के अधिकार से वंचित है। नेफेड ने अपने दिनांकित 1.5.1981 पत्र के माध्यम से एफ. ओ. एस. एफ. ए. को सूचित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के आदेश के बावजूद, उसकी ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आपत्तिजनक कदम उठाए गए थे और यह आगे कहा गया था कि एलिमेंटा एस. ए. की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि एलिमेंटा एस. ए. मध्यस्थता में आगे नहीं बढ़ेगा। अंततः, नेफेड ने इस आधार पर अवमानना की प्रकृति में कार्यवाही दायर की कि नेफेड की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति ने उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.3.1981 और 22.4.1981 द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया।

19. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1981 के उक्त ओ. एम. पी. No.41 का निर्णय लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पहला समझौता मध्यस्थता द्वारा शासित होगा। एफ. ओ. एस. एफ. ए. 20 अनुबंध में शामिल किया गया समझौता जबकि कोई नहीं था

जहाँ तक दूसरे समझौते का संबंध है, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता। 22.3.1982 पर, एलिमेंटा एस. ए. ने एफ. ए. ओ. दायर किया (ओ. एस.) 1982 का No.24 दिनांकित 11.12.1981 आदेश के विरुद्ध, बाद में इसे वापस ले लिया गया। अलीमेंटा एस. ए. ने इस अदालत के समक्ष 1.4.1982 पर एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.12.1981 के आदेश के खिलाफ सिविल अपील No.1755 के रूप में क्रमांकित किया गया था। इस अदालत ने 30.4.1982 पर आदेश पारित किया, जिसमें अलिमेंटा एस. ए. और एफ. ओ. एस. एफ. ए. को मध्यस्थता में आगे बढ़ने के लिए रोक दिया गया। आई. डी. 1 पर, एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने एक संदेश भेजा कि इस अदालत के पास मामले में कार्रवाई करने और न ही मध्यस्थता पर रोक लगाने की कोई शक्ति है और इस अदालत द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यवाही जारी रखी।

20. 9.1.1984 पर नाफेड ने स्पष्टीकरण मांगा

भारत सरकार ने कहा कि क्या कृषि मंत्रालय द्वारा आपूर्ति नहीं करने का निर्देश वैध और बाध्यकारी था। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष के अनुबंध को पूरा करने से इनकार करने के लिए जारी किए गए निर्देश एक विधिसम्मत निर्देश थे और इस प्रकार, नाफेड पर बाध्यकारी थे। 21. अंततः, इस अदालत ने 9.1.1987 के फैसले और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय के दिनांक 11.12.1981 के फैसले को बरकरार रखा। के बारे में

पहला समझौता, पक्षों को लंबित मध्यस्थता के लिए हटा दिया गया था, जबकि राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

दूसरे समझौते के लिए, चूंकि कोई मध्यस्थता खंड नहीं था, इसलिए पक्षों को दीवानी कार्यवाही में भेज दिया गया।

22. आई. डी. 1 पर, नाफेड ने एफ. ओ. एस. एफ. ए. के समक्ष अपनी लिखित प्रस्तुति दायर की, जिसमें कहा गया कि उसे अपना मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंध के विशिष्ट आदेश के बावजूद और उसे अपने वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी गई थी। एलिमेंटा एस. ए. ने भी अतिरिक्त आवेदन दायर किया

एफ. ओ. एस. एफ. ए. से पहले 19.6.1989 पर लिखित प्रस्तुति। अंततः, एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने आई. डी. 1 पर एक पुरस्कार पारित किया, जिसके द्वारा नाफेड को 765 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और दोहरे थैलों के लिए 15 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के अनुबंध मूल्य और 2275 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के निपटान मूल्य और नुकसान के रूप में दोहरे थैलों के लिए 15 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के बीच के अंतर के रूप में आई. डी. 2 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। राशि का भुगतान 13.2.1981 से पुरस्कार की तारीख तक 10.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करने का आदेश दिया गया था। 23. पुरस्कार से व्यथित होकर, नाफेड ने 16.1.1990 पर अपील बोर्ड के समक्ष अपील दायर की, हालांकि, 13.5.1990 और 30.5.1990 पर मेसर्स द्वारा कई अनुरोध किए गए थे। क्लाइड एंड कंपनी (सॉलिसिटर फर्म) ने अपील बोर्ड के समक्ष नाफेड का प्रतिनिधित्व किया, यह देखते हुए कि विशेष परिस्थितियाँ थीं और भारतीय कानून को समझाया जाना आवश्यक था। अपील बोर्ड ने 14.5.1990 पर अपने सॉलिसिटरों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने के लिए नाफेड के अनुरोध को खारिज कर दिया।

24. अंततः, 14.9.1990 पर अपील बोर्ड ने अपील पर निर्णय लेते समय पुरस्कार को बढ़ाकर नाफेड के मुद्दों को और बढ़ा दिया।

10.5% पी. ए. के बजाय 11.25% की दर से ब्याज घटक। अलीमेंटा एस. ए. द्वारा अपील के अभाव में ब्याज बढ़ाया गया था। अलीमेंटा एस. ए. के मध्यस्थ नामित, जिन्होंने पुरस्कार पारित किया, ने अपील बोर्ड के समक्ष अलीमेंटा एस. ए. की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व किया। 25. एलिमेंटा एस. ए. ने विदेशी पुरस्कारों (मान्यता और सम्मान) की धारा 5 और 6 के तहत 1993 के सूट No.1885 के रूप में एक याचिका दायर की।

प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "विदेशी पुरस्कार अधिनियम") एफ. ओ. एस. एफ. ए. और अपील बोर्ड द्वारा पारित प्रारंभिक और साथ ही अपीलीय पुरस्कार को लागू करने की मांग करता है।

26. नाफेड ने इस आधार पर पुरस्कार की प्रवर्तनीयता पर आपत्ति दर्ज की कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ था क्योंकि इसे लागू नहीं किया जा सकता था। धारा [2020] 7 एस. सी. आर. में निहित प्रावधानों का गैर-अनुपालन था।

7 (1) (विदेशी पुरस्कार अधिनियम के क), (ख) और (ग)। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम की धारा 101 के तहत कोई नोटिस नहीं दिया गया था। निष्पादन

इसे भी सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यह सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची I के अनुच्छेद 119 के कारण 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था और इसे लागू करने के लिए तीन साल की अवधि उपलब्ध नहीं थी। द.

2000 दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष। उच्च न्यायालय ने इसे 28.2.2001 पर स्वीकार किया और फांसी पर रोक लगा दी। इस न्यायालय के समक्ष अंतरिम आदेश और नियुक्ति के आदेश पर सवाल उठाया गया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दिनांक 28.2.2001 के अंतरिम आदेश को संशोधित किया और कुछ अंतरिम आदेश पारित करते हुए 5.4.2002 पर अलीमेंटा एस. ए. की दोनों याचिकाओं का निपटारा किया। 27. 9.9.2002 पर, अलीमेंटा एस. ए. ने 2002 की एक निष्पादन याचिका No.204 दायर की जिसमें सूट में पारित 28.1.2000 पर डिक्री के निष्पादन की मांग की गई थी।

उच्च न्यायालय में 1993 का सं. 1885। अंततः अपील को विचारणीय नहीं माना गया। इसे गैर-रखरखाव के आधार पर 6.9.2010 पर खारिज कर दिया गया था। नाफेड ने अपील में फैसले पर सवाल उठाया। एन. ए. एफ. ई. डी. ने योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए वर्तमान अपील (2012 की सिविल अपील No.667) दायर की। बाद के विकास हैं जो अन्य अपीलों का विषय हैं।

28. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान और श्री राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि पुरस्कार के प्रवर्तन पर धारा द्वारा रोक है।

7 (1) (क) (ख) विदेशी पुरस्कार अधिनियम। यह पुरस्कार कई आधारों पर भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इस प्रकार इसके तहत अप्रवर्तनीय है।

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी)। पुरस्कार/डिक्री भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित नहीं है

वस्तु का निर्यात। पुरस्कार न्याय के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करता है। इस तरह के पुरस्कार के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता संगठन के अस्तित्व की कीमत पर एलिमेंटा एस. ए. का अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। प्रवर्तन प्रक्रिया सीमितता द्वारा वर्जित है। वैसा नहीं था सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 119, अनुसूची I के संदर्भ में 30 दिनों के भीतर लाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश पुरस्कार को आदेश में परिवर्तित नहीं कर सकते थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया; इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन द्वारा विनिमय विचलन होने की स्थिति में

हानि के रूप में, नाफेड को इस तरह के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता होगी। नाफेड को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। मध्यस्थ-एलिमेंटा एस. ए. के नामित व्यक्ति ने मामले का प्रतिनिधित्व किया

अपील बोर्ड के समक्ष एलिमेंटा एस. ए., पुरस्कार अनुचित था, और अपील के अभाव में ब्याज में वृद्धि भी अवैध थी। यह निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है जैसा कि विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किया गया है।

29. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने तर्क दिया कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन में हस्तक्षेप की गुंजाइश सीमित है। यह पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं है। नाफेड को मध्यस्थता कार्यवाही में अपना मामला पेश करने का उचित अवसर दिया गया था। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यह नाफेड द्वारा स्वयं लगाए गए प्रतिबंध थे। भारत सरकार द्वारा निर्यात पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के कारण, यह इस न्यायालय के लिए अपनी शुद्धता में जाने के लिए खुला नहीं होगा। अलिमेंटा एस. ए. द्वारा अपील के अभाव में ब्याज देने के लिए अपील बोर्ड के लिए यह खुला था कि लर्नड सिंगल जज के पास यह निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र था -

डिक्री पारित करते समय ब्याज। मध्यस्थ के लिए प्रत्यर्थी की ओर से अपील में उपस्थित होने पर कोई रोक नहीं है।

30. हम सबसे पहले इस संबंध में उठाए गए मुख्य निवेदन पर विचार करते हैं कि क्या सरकार द्वारा निर्यात से इनकार करने के कारण नाफेड संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में असमर्थ था, क्योंकि एफ. ओ. एस. एफ. ए. समझौते के खंड 14 को देखते हुए अनुबंध अमान्य और अप्रवर्तनीय हो गया था।

नतीजतन, नाफेड को नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

31. इस तर्क की सराहना इस तथ्य की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए कि नाफेड भारत सरकार के लिए एक नहर बनाने वाली एजेंसी थी

वर्ष 1978-1981 के लिए। पिछले वर्षों से निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए, नाफेड को भारत सरकार से स्पष्ट अनुमति और सहमति की आवश्यकता थी। मौसम 1979-80 के लिए वस्तु की आपूर्ति के लिए पहला समझौता 12.1.1980 पर निष्पादित किया गया था। कुल 5,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया जाना था। हालांकि, निर्विवाद रूप से केवल 1900 मीट्रिक टन की ढुलाई की जा सकी। नवंबर-दिसंबर, 1980 में 3100 मीट्रिक टन की शेष आपूर्ति के लिए 18.8.1980 पर परिशिष्ट निष्पादित किया गया था। इसके बाद, 6.10.1980 पर, एक और परिशिष्ट निष्पादित किया गया, और यह सहमति हुई कि वस्तु को 1980-81 मौसम के दौरान भेज दिया जाएगा। नेफेड के पास भारत सरकार से [2020] 7 एस. सी. आर. की अनुमति थी।

तीन साल के लिए निर्यात में प्रवेश करें, यानी 1977-80 अवधि के बीच लेकिन सीजन 1979-80 के लिए निर्यात को वर्ष 1980-81 तक आगे बढ़ाने के लिए निर्यात नियंत्रण आदेश के तहत कोई अनुमति नहीं थी। नाफेड ने दावा किया

कि वह उक्त तथ्य से अनजान था कि उसके पास दिनांकित 6.10.1980 परिशिष्ट में प्रवेश करने का आवश्यक अधिकार नहीं था। जो भी हो सकता है। तथ्य यह है कि भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी निर्यात नियंत्रण आदेश, जो नहीं दिया गया था, के तहत मौसम 1979-80 के लिए निर्यात को वर्ष 1980-81 तक आगे ले जाना। जब इसकी फिर से मांग की गई, तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न आधारों पर इसे विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया।

32. एफ. ओ. एस. एफ. ए. का खंड 14,20 अनुबंध दिनांक 12.1.1980, दर्ज किया गया

इस संबंध में पक्षों के बीच महत्वपूर्ण है। संबंधित खंड 14,18 और 20 को नीचे निकाला गया हैः

" एफ. ओ. एस. एफ. ए. 20 के विशिष्ट परिणाम

दोनों के बीच

अनुबंध दिनांकित

12-01-1980

याचिका और जवाबदेह

14. प्रतिबंधः घटना में, शिपमेंट अवधि के दौरान

द्वारा किसी अन्य कार्यकारी या विधायी अधिनियम के निर्यात का निषेध या मूल देश की सरकार की ओर से या

वह क्षेत्र जहाँ यहाँ नामित बंदरगाह/बंदरगाह या माल स्थित है/हैं,

या नाकाबंदी या शत्रुता, निर्यात को प्रतिबंधित करना, चाहे आंशिक रूप से

या अन्यथा, ऐसा कोई प्रतिबंध दोनों पक्षों द्वारा माना जाएगा।

इस अनुबंध पर और ऐसे कुल या आंशिक सीमा तक लागू करने के लिए

पूर्ति को रोकने के लिए प्रतिबंध, चाहे वह माल द्वारा हो या किसी अन्य द्वारा अन्य का अर्थ है जो भी और उस हद तक किसी का यह अनुबंध

विस्तारित अवधि के दौरान शिपमेंट की स्थिति में अभी भी साबित हो रहा है इस खंड के किसी भी कारण से असंभव,

उस खंड का आह्वान खरीदारों को उचित प्रेषण के साथ सलाह देगा। अगर आवश्यक, विक्रेताओं को अपने दावे को सही ठहराने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा

खंड के तहत विस्तार या रद्द करना।

18. डॉमिसाइलः इस संपर्क को माना जाएगा

इंग्लैंड में बनाया गया, और निर्माण, वैधता और प्रदर्शन

वे सभी मामलों में अंग्रेजी कानून द्वारा शासित होंगे। कोई भी विवाद

इससे उत्पन्न या उसके संबंध में प्रस्तुत किया जाएगा संघ के नियमों के अनुसार मध्यस्थता।

किसी भी पक्ष को उनके पास भेजकर कार्यवाही की तामील

अंतिम ज्ञात पते की एक प्रति छोड़ने के साथ संघ के अधिकारियों की कार्यवाही मानी जाएगी

इसके विपरीत अच्छी सेवा, कानून का शासन या समानता।

20. आर्बिट्रेशनः इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद,

उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न सहित,

लंदन में मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाए (या यदि ऐसा सहमत हो तो कहीं और)

मध्यस्थता और अपील के नियमों के अनुसार

फेडरेशन ऑफ ऑयल, सीड्स एंड फैट्स एसोसिएशन लिमिटेड, लागू इस अनुबंध की तारीख पर और जिसमें से दोनों पक्ष

न तो कोई पक्ष, न ही कोई व्यक्ति जो इन दोनों में से किसी के तहत दावा करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी

उनमें से अन्य किसी ऐसे विवाद के संबंध में जब तक कि ऐसा विवाद न हो

पहले मध्यस्थों द्वारा सुना और निर्धारित किया जाएगा,

अंपायर या अपील बोर्ड (जैसा भी मामला हो) के अनुसार

संघ के मध्यस्थता और अपील के नियमों के साथ और यह एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई और घोषित किया गया कि

मध्यस्थों, अंपायर या अपील बोर्ड से एक पुरस्कार (

मामला हो सकता है), दोनों में से किसी एक के अधिकार के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होगी यहाँ पार्टी या उनमें से किसी एक के तहत आने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति

उनमें से दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई या अन्य कानूनी कार्यवाही

इस तरह के किसी भी विवाद का सम्मान।

(जोर दिया गया)

समझौते के खंड 14 से यह स्पष्ट है कि

किसी भी मूल सरकार द्वारा कार्यकारी या विधायी अधिनियम द्वारा निर्यात के निषेध की स्थिति में अनुबंध शिपमेंट अवधि, इस तरह के प्रतिबंध को दोनों पक्षों द्वारा अनुबंध पर लागू माना जाएगा।

इस प्रकार, यदि खंड में उल्लिखित कारण से शिपमेंट असंभव हो जाता है, तो समझौता रद्द कर दिया जाएगा।

33. भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय

1 दिसंबर, 1980 को नेफेड के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि पिछले वर्ष के अनुबंध की दर से चालू सत्र में आपूर्ति करना अवांछनीय है और इसके अलावा कोई भी निर्यातक कीमतों में इतने व्यापक अंतर के साथ किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर सकता है। यह भी बताया गया कि पिछले वर्ष के निर्यात अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए [2020] 7 एस. सी. आर.

स्वचालित रूप से अगले वर्ष तक। वस्तु के निर्यात को कोटा प्रणाली के तहत प्रतिबंधित किया गया था। नाफेड बिना पूर्व अनुमोदन के चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए अपने दम पर सहमत नहीं हो सका सरकार की ओर से। इसलिए, नेफेड को वर्तमान फसल मौसम में कार्यान्वयन के लिए पिछले वर्ष के अनुबंध को लेने पर विचार नहीं करने और सरकार को सूचित करने के लिए कहा गया था। पत्र का पैरा 2 यहाँ निकाला गया है:

" 2. मुझे बताया गया है कि नाफेड कुछ अनुबंधों को पूरा नहीं कर सका

पिछले साल देश में सूखे के कारण निर्यात के लिए। यह हो चुका है

मुझे आगे बताया गया कि निर्यात के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं

पिछले साल प्रवेश किया। ऐसा करना सबसे अवांछनीय होगा। यह देखते हुए कि आज की कीमतें लगभग तीन गुना हैं

पिछले साल प्रचलित कीमतें। कोई भी निर्यातक निर्यात का कार्य नहीं कर सकता है।

मूंगफली प्रतिबंधित है और एक कोटा प्रणाली के तहत, नाफेड नहीं कर सकता है वर्तमान के प्रति पिछले वर्ष की प्रतिबद्धताओं को अपने दम पर आगे बढ़ाते हुए

इसलिए पुष्टि करें कि नाफेड अंतिम कदम उठाने पर विचार नहीं कर रहा है। चालू फसल मौसम में लागू करने के लिए वर्ष के अनुबंध।

34. उसके बाद, नाफेड ने फिर से भारत सरकार से अनुरोध किया

पिछले वर्ष के अनुबंध के तहत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए चालू सत्र में कोटा जारी करना। 6.12.1980 और 9.12.1980 पर, वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखे गए थे। नाफेड ने एक पत्र लिखा

9.1.1981 सरकार के लिए। सरकार ने दिनांकित 9.1.1981 पत्र के जवाब में 27.1.1981 दिनांकित पत्र के माध्यम से दोहराया कि चालू वर्ष में पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता की अनुमति देना वांछनीय नहीं था। 27.1.1981 दिनांकित पत्र यहाँ नीचे निकाला गया है:

" No.26021/180-T

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहयोग विभाग)

(व्यापार प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

तारीख 27 जनवरी 1981

को,

श्री एस. के. अय्यर

सपना बिल्डिंग,

54 , कैलाश के पूर्व में,

N.A.F.E.D.,

पी. बी. No.3580।

विषयः - एच. पी. एस. मूंगफली का निर्यात-पिछले वर्ष के लंबित अनुबंध

रेग.

साहब,

मैं आपके पत्र No.HO/CSC/EXP/HPS/के लिए एक संदर्भ आमंत्रित करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय पर पी. ओ. आई./80-81/1334 दिनांक 9 जनवरी, 1981 और यह कहने के लिए कि चालू सत्र के दौरान एच. पी. एस. मूंगफली के पिछले वर्ष के अनुबंधों को अनुमति देने के प्रश्न की फिर से जांच की गई है।

सावधानी से। इस वस्तु की प्रतिबंधित निर्यात नीति और कोटा सीमा आदि को देखते हुए चालू वर्ष में पिछले वर्ष की प्रतिबद्धताओं की अनुमति देना वांछनीय नहीं माना गया है।

आपकी वफादारी

से,

एसडी /

(पी. सी.

रामराखियान)

निदेशक (व्यापार) "

(जोर दिया गया)

35. सरकार द्वारा इनकार नाफेड के रास्ते में आया

एलिमेंटा एस. ए. को वस्तु का निर्यात करके आपूर्ति करें।

ऊपर वर्णित समझौते के खंड 14 के अंतर्गत। द.

विभाजन सरकार के इनकार के कारण था।

36. यह दिनांकित अनुबंध के प्रावधानों से स्पष्ट है

1980 कि 5,000 मीट्रिक टन की मात्रा को बढ़ाया जाए

मीट्रिक टन, स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर। खंड 8

ई दिनांकित 12.1.1980 समझौते में प्रावधान किया गया था कि शिपमेंट [2020] 7 एस. सी. आर. होना था।

फरवरी/मार्च/अप्रैल 1980 के दौरान खरीदार के विकल्प पर सौराष्ट्र बंदरगाह से। अन्य नियम और शर्तें एफ. ओ. एस. एफ. ए, 20 अनुबंध शर्तों के अनुसार थीं। 18.8.1980 और 6.10.1980 दिनांकित परिशिष्ट को 12.1.1980 दिनांकित समझौते/अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया था। नाफेड के पास भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पिछले वर्षों के लिए निर्यात में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था, और उसने ऐसी अनुमति के बिना दोनों परिशिष्टों को निष्पादित किया।

37. नेफेड की कार्य समिति की बैठक के कार्यवृत्त, दिनांक 21.11.1980 एजेंडा आइटम संख्या 4 में नोट किया गया है कि

सौराष्ट्र क्षेत्र में बेमौसम बारिश और चक्रवात आदि के कारण मूंगफली की फसल को भारी नुकसान हुआ और उत्पादन कम हुआ। 50 प्रतिशत से भी कम रिकवरी हुई। 1979-80 में 1978-79 की तुलना में कीमतों में वृद्धि हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नाफेड इस तथ्य की उपेक्षा में अनुबंध करने का इरादा रखता था कि एक नहर बनाने वाला एजेंट होने के नाते, यह अगले में आपूर्ति नहीं कर सकता था।

वर्षों से। 38. नेफेड ने कृषि विभाग के दिनांक 1 के पत्र की प्राप्ति के बाद की परिस्थितियों में अलीमेंटा एस. ए. को सूचित किया कि माल की आपूर्ति के लिए सरकार के निषेध के कारण माल के लिए पोत को शिपमेंट के लिए नामित न किया जाए। नाफेड ने आई. डी. 1 पर फिर से एक पत्र लिखा और सरकार को बताया कि वे सरकारी आदेश के कारण निर्यात करने में असमर्थ हैं। सरकार ने

प्रतिवादी को वस्तुओं के निर्यात के संबंध में अंतिम निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा गया था। उपरोक्त परिस्थितियों में निषेध को दोहराते हुए दिनांकित 27.1.1981 का पत्र जारी किया गया। इसे एलिमेंटा एस. ए. द्वारा नाफेड की ओर से आपूर्ति करने से इनकार माना गया था, और उन्होंने नाफेड को अपना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा। एलिमेंटा एस. ए. ने श्री ए. जी. स्कॉट को अपना नामित मध्यस्थ नियुक्त किया। नेफेड द्वारा दिनांकित एक अन्य टेलीक्स 13.2.1981 भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि सरकार की कार्रवाई के कारण वस्तु की आपूर्ति करना संभव नहीं होगा।

इस तरह के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। बाद में, नाफेड द्वारा सरकार से पुष्टि मांगी गई। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने नेफेड को 9.1.1984 पर सूचित किया कि कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष के अनुबंध को पूरा करने से इनकार करने के लिए जारी किए गए निर्देश वे वैध और बाध्यकारी थे। सरकार का दिनांकित 9.1.1984 का पत्र यहाँ निकाला गया हैः

राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

" विनॉड राय

जन-प्रतिनिधि सचिव

8 जनवरी,

1984

को,

प्रबंध निदेशक,

राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति

मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

सपना बिल्डिंग 54, कैलाश के पूर्व में,

विषयः एच. पी. एस. मूंगफली सीजन 1980-81 का निष्पादन, 1979-80 के तहत 1979-80 फसल सीजन के दौरान किए गए अनुबंध का पूरा न होना। प्रिय महोदय,

कृपया अपने पत्र सं. उपरोक्त विषय पर एच. ओ./ओ. एस. सी./एच. पी. एस./पी. ओ. एल./पी. ओ. 81/1337 दिनांक 9 जनवरी, 1984।

संयुक्त सचिव उषा वोहरा ने 21 अक्टूबर, 1980 को श्री श्रीवास्तव को दिनांकित किया। यह कोटा उस मौसम में प्रचलित बाजार मूल्यों पर किए जाने वाले नए अनुबंधों के लिए था। नाफेड पिछले वर्ष के अनुबंधों को पूरा करने के लिए कोटे के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का हकदार नहीं था। इसके अलावा, मुझे आपको सलाह देनी चाहिए, जैसा कि आप निश्चित रूप से जानते हैं, कि आप पुराने अनुबंधों को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष के लिए कोटे के किसी भी अप्रयुक्त हिस्से का उपयोग नहीं कर सकते थे। 3. कृषि मंत्रालय ने आपको सूचित किया कि आपको पिछले वर्ष के अनुबंधों को पूरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। यह एक वैध निर्देश था जिसका पालन करने के लिए आप बाध्य थे। हालाँकि, इस स्पष्ट निर्देश के बिना भी आप इन अनुबंधों को पूरा नहीं कर सकते थे। आपको वाणिज्य मंत्रालय से आवश्यक मात्रा को शामिल करते हुए एक अतिरिक्त निर्यात कोटा की आवश्यकता होगी। आपने आम तौर पर अतिरिक्त कोटा के लिए आवेदन किया था और इस आवेदन को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से प्रचलित बाजार स्थितियों को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया था।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निश्चित रूप से कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया होगा जिससे आप पिछले सत्र की कीमतों पर पुराने अनुबंधों को पूरा कर सकें।

आप

की वफादारी से

(वि

नॉड राय)

भारत सरकार के उप सचिव "

यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया कि

नाफेड पर बाध्यकारी था। अनुमति के बिना, नाफेड के लिए अनुबंध और परिशिष्ट के तहत अपने दायित्व का पालन करना संभव नहीं था।

39. यह तर्क दिया गया था कि सामान्य कानून में, हताशा समाप्त नहीं होती है

शुरू से ही अनुबंध, यह अनुबंध को बिना अधिक और स्वचालित रूप से इस अर्थ में तुरंत समाप्त कर देता है कि यह दोनों पक्षों को अनुबंध के किसी भी प्रदर्शन से मुक्त कर देता है, जबकि पहले से ही अर्जित किसी भी कानूनी अधिकार या पहले से ही किए गए भुगतान को अबाधित छोड़ देता है।

अपने कार्यकाल के साथ। यह आगे तर्क दिया गया कि कानून बाद में बाद के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि किए गए अग्रिम भुगतान एक पक्ष द्वारा वसूली योग्य थे। डेविस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड बनाम में निर्णय। फरेहम अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (1956) 2 लॉर्ड रैडक्लिफ द्वारा सभी ई. आर. 145 इस बात पर निर्भर है कि अनुबंध की हताशा के लिए आवेदन किया गया परीक्षण यह है कि क्या दायित्व में कोई मौलिक परिवर्तन हुआ है। यह देखा गयाः

" ..... निराशा तब होती है जब कानून मानता है कि इसके बिना किसी भी पक्ष का चूक एक संविदात्मक दायित्व बन गया है

प्रदर्शन करने में असमर्थ क्योंकि जिन परिस्थितियों में

प्रदर्शन के लिए कहा जाता है जो इसे मौलिक रूप से एक चीज बना देगा

जो अनुबंध द्वारा किया गया था उससे अलग।

दायित्व के महत्व में भी ऐसा बदलाव होना चाहिए।

कि किया गया कार्य, यदि किया जाता है, तो एक अलग बात होगी

जिसके लिए अनुबंध किया गया था "।

(जोर दिया गया)

40. यह भी तर्क दिया गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्पष्ट रूप से बरकरार रखा

त्साकिरोग्लो एंड कंपनी लिमिटेड बनाम में बाद के मामलों में निराशा। नोबली और थोर्ल जीएमबीएच, [1961] 2 ऑल ईआर 179; ओशन ट्रैम्प टैंकर कॉर्पोरेशन बनाम। वी/ओ सोवफ्राक्ट, [1964] 1 ऑल ई. आर. 161; नेशनल कैरियर्स लिमिटेड v. पैनाल्पीना (उत्तरी) लिमिटेड, [1981] 1 सभी ई. आर. 161; पायनियर शिपिंग लिमिटेड और अन्य। वी. बीटीपी डाइऑक्साइड लिमिटेड

; नेमा, (1981) 2 सभी ई. आर. 1030; राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

पाल विल्सन एंड कंपनी ए/एस बनाम पार्टेन्रीडेरी हन्ना ब्लुमेंथल; द हन्ना ब्लुमेंथल, [1983] 1 ऑल ईआर 34।

41. रिलायंस को नेशनल कैरियर्स लिमिटेड बनाम पर भी रखा गया है।

पैनाल्पीना (उत्तरी) लिमिटेड [1981] 1 सभी ई. आर. 161 जिसमें लॉर्ड साइमन

देखा गयाः

" एक अनुबंध की निराशा तब होती है जब एक

कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं करता है) जो इतना महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है बकाया राशि की प्रकृति (केवल खर्च या भारीपन नहीं)

संविदात्मक अधिकार और/या पार्टियों से दायित्व उचित रूप से इसके समय पर विचार किया जा सकता था

निष्पादन कि उन्हें शाब्दिक रूप से पकड़ना अन्यायपूर्ण होगा नई परिस्थितियों में इसकी शर्तों की भावना; ऐसी स्थिति में

मामला कानून पक्षों को आगे से छुट्टी देने की घोषणा करता है प्रदर्शन "।

(जोर दिया गया)

42. विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि चूंकि निराशा थी,

अनुबंध स्वचालित रूप से निर्धारित किया जाता है; इसे पुष्टि द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता है। अपीलार्थी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम केनेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के फैसले पर भी भरोसा किया है।

प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। , (2016) 13 एस. सी. सी. 561 जिसमें अदालत ने कहा कि डी. डी. ए. के साथ केनेथ बिल्डर्स का अनुबंध निराशाजनक था और परियोजना की भूमि पर की जा रही किसी भी निर्माण गतिविधि पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रदर्शन करना अव्यावहारिक था। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 30. अनुबंध अधिनियम की धारा 56 की व्याख्या आई

सत्यव्रत घोष बनाम में विचार के लिए। मुगनीराम बांगुर

& कं., ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 44. यह इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि शब्द

" अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में "असंभव" का उपयोग नहीं किया गया है

के दृष्टिकोण से अव्यवहारिक और बेकार के रूप में व्याख्या की गई उद्देश्य और उद्देश्य जो पक्षों के विचार में था जब वे

अनुबंध में प्रवेश किया। यह अव्यवहारिकता या निरर्थकता हो सकती है।

कुछ हस्तक्षेप या पर्यवेक्षण परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है जो

दलों ने विचार नहीं किया था। लेकिन अगर हस्तक्षेप

पक्षों द्वारा परिस्थिति पर विचार किया गया था, फिर अनुबंध

ऐसी परिस्थिति के होने के बावजूद खड़ा रहेगा।

घटना ", निराशा का कोई मामला नहीं हो सकता है क्योंकि अनुबंध होने के बावजूद प्रदर्शन की मांग करने का आधार है

एक विशेष घटना, यह उस घटना के बाद गायब नहीं हो सकता है

ppens "। इस अदालत को यही कहना थाः (एयर पीपी। 46-49 , रास 9-10 और 17)

" 9. इस खंड का पहला पैराग्राफ इंग्लैंड की तरह ही कानून को निर्धारित करता है। यह कुछ ऐसी बात करता है जो

स्वाभाविक रूप से या अपनी प्रकृति से असंभव है, और स्पष्ट रूप से किसी को भी ऐसा कार्य करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। दूसरे पैराग्राफ में उस अधिनियम की असंभवता या अवैधता के कारण अनुबंध के निर्वहन से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है जो करने के लिए सहमत था। इस पैराग्राफ के शब्द काफी सामान्य हैं, और हालांकि इससे जुड़े चित्र बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन वे इसमें उपयोग किए गए सामान्य शब्दों का अपमान नहीं कर सकते हैं।

अधिनियम। यह बहुत स्पष्ट है कि "असंभव" शब्द का उपयोग यहाँ भौतिक या शाब्दिक असंभवता के अर्थ में नहीं किया गया है।

किसी कार्य का निष्पादन शाब्दिक रूप से असंभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस उद्देश्य और उद्देश्य के दृष्टिकोण से अव्यवहारिक और बेकार हो सकता है जो पक्षों के विचार में था; और यदि

अप्रिय घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन उस नींव को पूरी तरह से परेशान करता है जिस पर पक्षों ने अपना सौदा किया था, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि वचनदाता को ऐसा करना असंभव लगता है

10. हालाँकि इंग्लैंड में न्यायाधीशों और न्यायविदों द्वारा न्यायिक आधार के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कुंठा के सिद्धांत का, फिर भी जिस आवश्यक विचार पर सिद्धांत आधारित है, वह अनुबंध के प्रदर्शन की असंभवता है; वास्तव में असंभवता और कुंठा का अक्सर उपयोग किया जाता है।

विनिमेय अभिव्यक्तियों के रूप में। यह कहा जाता है कि बदली हुई परिस्थितियाँ अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देती हैं और पक्षों को इसके आगे के प्रदर्शन से मुक्त कर दिया जाता है।

उन्होंने एक असंभवता का प्रदर्शन करने का वादा नहीं किया।

पार्टियों को माफ कर दिया जाएगा, जैसा कि लॉर्ड लॉरबर्न कहते हैंः

(एफ. ए. टैम्पलिन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड वी. एंग्लो-मैक्सिकन

पेट्रोलियम उत्पाद कंपनी लिमिटेड (1916) 2 एसी 397 (एचएल) एसी

पी। 406)

राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

..... यदि काफी हद तक पूरा अनुबंध बन जाता है

प्रदर्शन का असंभव या दूसरे शब्दों में अव्यवहारिक

किसी कारण से जिसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। '

*

*

*

17. यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि पक्ष ऐसा करते हैं

एक मध्यवर्ती परिस्थिति की संभावना पर विचार करें जो

अनुबंध के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करें कि अनुबंध इस तरह के बावजूद बना रहेगा

परिस्थिति, निराशा का कोई मामला नहीं हो सकता क्योंकि

प्रदर्शन की मांग करने के बावजूद अनुबंध का आधार

एक विशेष घटना के होने पर, यह गायब नहीं हो सकता है जब वह

घटना घटित होती है। जैसा कि लॉर्ड एटकिंसन ने मैथे वी में कहा था। कर्लिंग,

(1922) 2 एसी 180 (एचएल): (एसी पी। 234)

एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से एक करने के लिए पूरी तरह से अनुबंध करता है

जो स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं है, उसके लिए क्षमा नहीं की जाती है भगवान के कार्य से बाधित होने के कारण प्रदर्शन या

राजा के दुश्मन. या मेजर।

यह कानूनी स्थिति होने के कारण, चरम पर एक विवाद है

इस रूप में कि अंग्रेजी में मान्यता प्राप्त हताशा का सिद्धांत कानून की धारा 56 के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है।

अनुबंध अधिनियम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

36. तथ्यों और हमारे सामने रखे गए कानून के संदर्भ में, हम संतुष्ट हैं कि कुछ परिस्थितियों ने हस्तक्षेप किया था, जिससे

केनेथ बिल्डर्स के लिए यह शुरू करना अव्यावहारिक है

परियोजना की भूमि पर निर्माण गतिविधि। कुछ पर पहुंचने के बाद से इस मुद्दे पर स्पष्टता में कुछ साल लग गए थे और यह स्पष्टता

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डीडीए और डीडीए के बीच अनुबंध केनेथ बिल्डर्स के लिए प्रदर्शन करना असंभव था

अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में उस शब्द का अर्थ। इसलिए,

हम डीडीए के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि डीडीए के बीच अनुबंध

और केनेथ बिल्डर्स निराश नहीं हुए। 43. वर्तमान मामले में, पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, और के खंड 14 में

अन्यथा, यह विचार किया गया था कि अनुबंध के दौरान यदि मूल देश की सरकार की ओर से निर्यात या किसी अन्य कार्यकारी या विधायी अधिनियम का निषेध है, तो अधूरा हिस्साई अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। [2020] 7 एस. सी. आर. द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण।

सरकार की अनुमति के बिना निर्यात नियंत्रण आदेश के कारण पिछले वर्ष की मात्रा को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित करें। 44. यह स्पष्ट है कि अनुबंध समझौते के खंड 14 के संदर्भ में समाप्त हो गया। अनुबंध को देखते हुए अमान्य हो गया

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1881 की धारा 32 (संक्षेप में, "अनुबंध अधिनियम") में निहित प्रावधान। खंड 14 में दी गई शर्त दोनों पक्षों को अनुबंध के निष्पादन से मुक्त करती है।

45. अनुबंध अधिनियम की धारा 32 आकस्मिक अनुबंधों को लागू करने का प्रावधान करती है। धारा 32, चित्रों के साथ, यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 32. एक घटना पर आकस्मिक अनुबंधों का प्रवर्तन

हो रहा है। भविष्य में कोई अनिश्चित घटना होने पर कुछ भी करने या न करने के लिए आकस्मिक अनुबंध, कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं।

जब तक और जब तक वह घटना नहीं हुई है।

यदि घटना असंभव हो जाती है, तो ऐसे अनुबंध अमान्य हो जाते हैं।

दृष्टांत

(a) A, B के घोड़े को खरीदने के लिए B के साथ अनुबंध करता है यदि A जीवित रहता है C. इस अनुबंध को कानून द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि C की मृत्यु नहीं हो जाती।

(ख) क बी के साथ एक निर्दिष्ट मूल्य पर बी को घोड़ा बेचने का अनुबंध करता है, यदि सी, जिसे घोड़ा दिया गया है, उसे खरीदने से इनकार कर देता है। अनुबंध को कानून द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि सी घोड़ा खरीदने से मना कर देता है।

(ग) बी द्वारा सी से शादी करने पर बी को राशि का भुगतान करने का अनुबंध।

बी से शादी किए बिना मृत्यु हो जाती है। अनुबंध अमान्य हो जाता है।

46. अनुबंध अधिनियम की धारा 56 करने के लिए समझौते से संबंधित है

एक असंभव कार्य या बाद में कार्य करना असंभव या गैरकानूनी हो जाता है। यह वचनदाता के दायित्व के लिए कुछ ऐसा करने का भी प्रावधान करता है जिसे वह जानता था या उचित परिश्रम के साथ जानता था- एक ऐसा कार्य जो असंभव या गैरकानूनी है; इस प्रकार, वचनदाता को वचन का पालन न करने के लिए मुआवजा देना चाहिए।

47. अनुबंध अधिनियम की धारा 32 उस स्थिति में लागू होती है जब समझौता स्वयं उन आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान करता है जिनके होने पर अनुबंध नहीं हो सकता है।

निष्पादित करें और परिणाम प्रदान करें। इस मामले में अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान आकर्षित होते हैं न कि धारा 56 के। यदि कोई कार्य भविष्य की तारीख में असंभव हो जाता है, और उस समझौते में वह अनिवार्यता प्रदान नहीं की जाती है जिसके होने पर अनिवार्यता, असंभव या गैरकानूनी, वचनदाता का कोई नियंत्रण नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। रोक दिए जाने पर, अनुबंध अमान्य हो जाता है जैसा कि धारा 56 में प्रदान किया गया है। हालाँकि, धारा 56 एक ऐसे कारण के लिए दायित्व का भी प्रावधान करती है जहाँ वचनदाता कुछ ऐसा करने के लिए सहमत हो गया है जिसे वह जानता था या उचित परिश्रम के साथ जानता था और जिसे वचनदाता असंभव या गैरकानूनी नहीं जानता था। इस तरह के वचनदाता को इस तरह के वादे के लिए मुआवजा देना चाहिए और वह नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 56 का उत्तरार्द्ध तब लागू होता है जब वचनदाता को पता नहीं था कि कार्य असंभव या गैरकानूनी है और यह कि वचनदाता को यह पता नहीं था; कार्रवाई असंभव या गैरकानूनी थी या उचित परिश्रम के साथ पता चल सकता था।

48. वर्तमान मामले में, समझौते के खंड 14 में स्पष्ट शर्त के कारण, यह स्पष्ट है कि पक्षकार एक

आकस्मिक अनुबंध। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सरकार

कार्यकारी या विधायी कार्य समझौते के खंड 14 में दिए गए रास्ते में आ सकते हैं। इस प्रकार, इस मामले में, अनुबंध अधिनियम की धारा 32 आकर्षित होती है न कि धारा 56 के प्रावधान। यह अनुमति के बिना अपने आप में असंभव कार्य करने के लिए एक समझौता था, और जिसे धारा 32 द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। सरकार द्वारा अपेक्षित प्राधिकरण दिए जाने की स्थिति में अनुबंध निष्पादित करने में सक्षम था। यह ऐसी घटना नहीं है जिस पर समझौते में प्रवेश करने के समय विचार नहीं किया गया था। सरकारी अनुमति की आवश्यकता थी। धारा 56 आकर्षित नहीं होती है क्योंकि वचनदाता और वचनदाता दोनों पहले से ही कारण जानते थे क्योंकि समझौते में अनुबंध को रद्द करने के लिए सरकार के कार्यकारी आदेश के रास्ते में आने की स्थिति में ऐसी आकस्मिकता प्रदान की गई थी। इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 32 में दिए गए अनुसार, आकस्मिकता होने पर अनुबंध अमान्य हो गया। 49. सत्यव्रत घोष बनाम में यह न्यायालय। मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 44 ने अनुबंध की हताशा के सिद्धांत पर विचार करते हुए धारा 32 और 56 की प्रयोज्यता पर विचार किया। असंभवता और हताशा का उपयोग विनिमेय अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है। कुंठा का सिद्धांत अनुबंध के निर्वहन का एक पहलू है। भारत में, अदालतों को केवल एक ही सिद्धांत का पालन करना पड़ता है जो धारा 56 में निर्धारित असंभवता या अवैधता में हस्तक्षेप करना है, और इस [2020] 7 एस. सी. आर. में अंग्रेजी निर्णय।

सम्मान का प्रेरक मूल्य हो सकता है लेकिन वे बाध्यकारी नहीं हैं। इस न्यायालय ने यह भी विचार किया कि क्या अनुबंध में निहित या स्पष्ट रूप से एक शर्त है,

जिसके अनुसार यह विशेष परिस्थितियों में होने पर मुक्त हो जाएगा। समझौते का विघटन अनुबंध की शर्तों के तहत ही होगा। ऐसे मामले अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे से पूरी तरह बाहर होंगे। उनसे अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के तहत निपटा जाएगा, जो आकस्मिक अनुबंधों से संबंधित है। इस न्यायालय ने कहाः

" 9. इस खंड का पहला पैराग्राफ इंग्लैंड की तरह ही कानून को निर्धारित करता है। यह किसी ऐसी चीज़ की बात करता है जो स्वाभाविक रूप से या अपनी प्रकृति से ही असंभव है, और स्पष्ट रूप से किसी को भी निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

इस तरह का कार्य करना। दूसरे पैराग्राफ में उस अधिनियम की असंभवता या अवैधता के कारण अनुबंध के निर्वहन से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है जो करने के लिए सहमत था। इस पैराग्राफ के शब्द काफी सामान्य हैं, और हालांकि इसके साथ जुड़े चित्र बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन वे इसका अपमान नहीं कर सकते हैं।

अधिनियम में प्रयुक्त सामान्य शब्द। यह बहुत स्पष्ट है कि "असंभव" शब्द का उपयोग यहाँ भौतिक या शाब्दिक असंभवता के अर्थ में नहीं किया गया है। द.

किसी कार्य का निष्पादन शाब्दिक रूप से असंभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस उद्देश्य और उद्देश्य के दृष्टिकोण से अव्यवहारिक और बेकार हो सकता है जो पक्षों के विचार में था; और यदि कोई अप्रिय हो।

घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन उस नींव को पूरी तरह से परेशान करता है जिस पर पक्षों ने अपना सौदा किया था, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि वचनदाता को वह कार्य करना असंभव लगता है जो वह करता है। करने का वादा किया।

10. हालाँकि इस सिद्धांत के न्यायिक आधार के बारे में इंग्लैंड में न्यायाधीशों और न्यायविदों द्वारा विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं।

कुंठा की, फिर भी जिस आवश्यक विचार पर सिद्धांत आधारित है, वह अनुबंध के प्रदर्शन की असंभवता है; वास्तव में, असंभवता और कुंठा का उपयोग अक्सर विनिमेय अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है। यह कहा जाता है कि बदली हुई परिस्थितियाँ अनुबंध के प्रदर्शन को असंभव बना देती हैं और पक्षों को इसके आगे के प्रदर्शन से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने वादा नहीं किया था एक असंभवता का प्रदर्शन करें।

पार्टियों को माफ कर दिया जाएगा, जैसा कि लॉर्ड लॉरेबर्न कहते हैं, देखें टैम्पलिन स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड बनाम। एंग्लो मैक्सिकन पेट्रोलियम उत्पाद कं. लिमिटेड, पी 403 (ए) पर 1916-2 एओ 297।

राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

" यदि काफी हद तक पूरा अनुबंध प्रदर्शन के लिए असंभव हो जाता है या दूसरे शब्दों में किसी कारण से अव्यवहारिक हो जाता है

में-जोसेफ कांस्टेनटाइन स्टीमशिप लाइन लिमिटेड बनाम। शाही स्मेल्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ', 1942-पृष्ठ 168 (बी) पर एओ 154 विस्काउंट मॉम ने देखा कि

" कुंठा का सिद्धांत केवल निर्वहन का एक विशेष मामला है अनुबंध किए जाने के बाद उत्पन्न होने वाले प्रदर्शन की असंभवता द्वारा अनुबंध।

लॉर्ड पोर्टर ने इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और उसी आधार पर सिद्धांत को रखा। इस प्रश्न पर नागपुर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा केसरी चंद बनाम में विचार और चर्चा की गई थी। राज्यपाल

जनरल-इन-काउंसिल आई. एल. आर. (1949) नाग 718 (सी), और यह माना गया कि हताशा का सिद्धांत तब लागू होता है जब कोई अनुबंध किए जाने के बाद, पक्षों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण प्रदर्शन करना असंभव हो जाता है। यह सिद्धांत असंभवता का एक विशेष मामला है और इस तरह, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत आता है। हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं जो हाल ही में इस घोषणा से मजबूत हुआ है।

गंगा सरन बनाम में न्यायालय। राम चरण, ए. आई. आर. 1952 एस. ओ. 9, पृष्ठ 11 (डी) पर जहाँ फजल अली, जे. ने अपने निर्णय में हताशा के बारे में बोलते हुए कहाः

" हमारे लिए इस बात पर जोर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जहां तक इस देश की अदालतों का संबंध है, उन्हें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की धारा 32 और 56 में सन्निहित कानून पर ध्यान देना चाहिए।

अनुबंध अधिनियम, 1872 "।

इसलिए हमारा मानना है कि हताशा का सिद्धांत वास्तव में अनुबंध के निर्वहन के कानून का एक पहलू या हिस्सा है, जो उस अधिनियम की असंभवता या अवैधता के कारण है जो करने के लिए सहमत है।

और इसलिए यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है। यह कहना गलत होगा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 56 केवल भौतिक असंभवता के मामलों पर लागू होती है और जहां यह धारा लागू नहीं होती है, वहां हताशा के विषय पर अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है। यह भी माना जाना चाहिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम जिस हद तक किसी विशेष विषय से संबंधित है, वह उसी पर संपूर्ण है और यह [2020] 7 एस. सी. आर. है।

अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों को आयात करने की अनुमति नहीं है जो इन वैधानिक प्रावधानों को अस्वीकार करता है। अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों का केवल एक प्रेरक मूल्य होता है और यह दिखाने में सहायक हो सकता है कि इंग्लैंड में न्यायालयों ने निम्नलिखित मामलों का निर्णय कैसे किया है।

ऐसी परिस्थितियाँ जो हमारी अदालतों के सामने आई हैं। 15. कानूनी सिद्धांतों को तैयार करने के तरीके में ये अंतर वास्तव में हमारी चिंता नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास भारतीय अनुबंध अधिनियम में एक वैधानिक प्रावधान है। भारत में मामलों को तय करने में एकमात्र सिद्धांत जिसके अनुसार हमें चलना है वह है असंभवता का पर्यवेक्षण करना।

या अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में निर्धारित अवैधता, "असंभव" शब्द को अपने व्यावहारिक और शाब्दिक अर्थों में नहीं लेते हुए। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा 56 सकारात्मक कानून का नियम निर्धारित करती है और मामले को पक्षों के इरादे के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ती है।

16. ऊपर उल्लिखित हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नवीनतम निर्णय में, लॉर्ड चांसलर पूरे सिद्धांत को इस सिद्धांत पर रखता है -

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार, एक वादा धारा 9 के माध्यम से व्यक्त या निहित हो सकता है। ऐसे मामलों में, जहां न्यायालय निर्माण के मामले के रूप में इकट्ठा होता है कि अनुबंध स्वयं निहित या स्पष्ट रूप से एक शब्द, जिसके अनुसार यह

कुछ परिस्थितियों के होने पर छुट्टी मिल जाएगी, अनुबंध का विघटन शर्तों के तहत होगा स्वयं अनुबंध और ऐसे मामले पूरी तरह से धारा 56 के दायरे से बाहर होंगे। हालाँकि अंग्रेजी कानून में इन मामलों को निराशा के मामलों के रूप में माना जाता है, भारत में उनसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के तहत निपटा जाएगा जो आकस्मिक अनुबंधों या अधिनियम में निहित इसी तरह के अन्य प्रावधानों से संबंधित है। हालांकि अधिकांश मामलों में हताशा का सिद्धांत इस आधार पर लागू नहीं किया जाता है कि पक्ष स्वयं राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन करते हैं।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

एक निहित शब्द के लिए सहमत हुए जो उन्हें अनुबंध के प्रदर्शन से मुक्त करने के लिए संचालित था। अदालत द्वारा राहत बाद की असंभवता के आधार पर दी जाती है जब यह पाया जाता है कि किसी अनुबंध का पूरा उद्देश्य या आधार किसी अप्रत्याशित घटना की घुसपैठ या घटना या परिस्थितियों के परिवर्तन से निराश था जो उस समय पक्षों द्वारा विचार किए गए विचार से परे था जब उन्होंने समझौता किया था। यहाँ निर्वहन के प्रावधान को मूर्त रूप देने वाले पक्षों द्वारा सहमत एक निहित शब्द का पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पक्षों ने इस मामले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और न ही संभवतः उनका कोई इरादा हो सकता था

इसके बारे में। जब ऐसी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन होता है जो इतना मौलिक है कि कानून द्वारा हड़ताली माना जाता है

निःसंदिग्ध रूप से अनुबंध और उन परिस्थितियों की जांच करनी होगी जिनके तहत यह किया गया था। पक्षकारों का विश्वास, ज्ञान और इरादा सबूत हैं, लेकिन केवल सबूत जिसके आधार पर अदालत को अपना निष्कर्ष निकालना है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों ने साहसिक कार्य के आधार और इसके अंतर्निहित उद्देश्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मानसर, 1947-2 सभी ER 666 (L)। इसे अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा निर्माण का नियम कहा जा सकता है लेकिन यह निश्चित रूप से न्यायाधीशों के इरादे को प्रभावी बनाने का सिद्धांत नहीं है। पक्षकार जो निर्माण के सभी नियमों का पालन करते हैं। यह वास्तव में सकारात्मक कानून का एक नियम है और इस तरह के दायरे में आता है

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 "।

50. न्यायालय ने सत्यब्रत घोष (ऊपर) में निर्णय का पालन किया।

i हाटी जूट मिल्स लिमिटेड v. ख्यालीराम जगन्नाथ, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 522, ने कहा कि यदि अनुबंध में निहित या स्पष्ट रूप से एक शब्द है

कि यह कुछ की घटना पर निर्वहन खड़ा होगाआपात स्थिति में अनुबंध का विघटन अनुबंध के तहत ही होगा और ऐसे मामले अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे से बाहर होंगे। ऐसे मामलों से निपटा जाना चाहिए।

अनुबंध अधिनियम की धारा 32। न्यायालय ने राय दीः

" 7. हालाँकि, इस देश में अदालतों को ऐसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। गंगा सरन बनाम। राम चरण, 1952 एस. सी. आर. 36 = (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 9) इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जहां तक इस देश की अदालतों का संबंध है, उन्हें मुख्य रूप से कानून [2020] 7 एस. सी. आर. पर ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 32 और 56 में सन्निहित है। सत्यब्रत घोष बनाम। मुगनीरम, 1954 एस. सी. आर. 310 = (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 44) भी, मुखर्जी, जे. (जैसा कि वे तब थे) ने कहा कि धारा

56 सकारात्मक कानून का एक नियम निर्धारित किया और मामले को पक्षों के इरादे के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ा। चूंकि अनुबंध अधिनियम के तहत एक वादा व्यक्त या निहित किया जा सकता है, ऐसे मामलों में जहां अदालत निर्माण के मामले के रूप में यह मानती है कि अनुबंध में निहित या स्पष्ट रूप से एक शब्द है जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में ऐसा होने पर इसका निर्वहन किया जाएगा, अनुबंध का विघटन अनुबंध की शर्तों के तहत ही होगा और ऐसे मामले धारा 56 के दायरे से बाहर होंगे। हालाँकि अंग्रेजी कानून में ऐसे मामलों को हताशा के मामलों के रूप में माना जाएगा, लेकिन भारत में उनसे धारा 32 के तहत निपटा जाएगा। हालाँकि, अधिकांश मामलों में, का सिद्धांत

हताशा को इस आधार पर लागू नहीं किया जाता है कि पक्ष स्वयं एक निहित शब्द के लिए सहमत थे जो उन्हें अनुबंध के प्रदर्शन से मुक्त करने के लिए संचालित था। न्यायालय बाद की असंभवता के आधार पर राहत दे सकता है जब उसे पता चलता है कि अनुबंध का पूरा उद्देश्य या आधार घुसपैठ से निराश था। या किसी अप्रत्याशित घटना की घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन जिस पर अनुबंध की तारीख में पक्षों द्वारा विचार नहीं किया गया था। ऐसे मामले में आरोपमुक्त करने के प्रावधान को शामिल करने वाले पक्षों द्वारा सहमत एक निहित शब्द का पता लगाने का कोई सवाल ही नहीं होगा क्योंकि पक्षों ने इस मामले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था और न ही संभवतः इसके बारे में कोई इरादा हो सकता था। जब ऐसी घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जिसे कानून द्वारा समग्र रूप से अनुबंध की जड़ पर प्रहार करने के रूप में माना जाता है, तो यह अदालत है जो अनुबंध को निराश और अंत में घोषित कर सकती है। यह वास्तव में धारा 56 में अधिनियमित एक सकारात्मक नियम है जो ऐसी स्थितियों को नियंत्रित करता है।

51. बूथलिंगा एजेंसियों में v. वी. टी. सी. पोरियास्वामी नादर, ए. आई. आर. एस. सी. 110 ने फिर से अनुबंध की हताशा का सिद्धांत उपहास के लिए सामने आया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध की धारा 56 के प्रावधान आत्म-प्रेरित हताशा पर लागू नहीं होते हैं। प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे उद्धृत किया गया हैः

" 10. अनुबंध की हताशा का सिद्धांत वास्तव में एक पहलू है, या करने के लिए सहमत अधिनियम की असंभवता या अवैधता के कारण अनुबंध के निर्वहन के कानून का हिस्सा है और इसलिए राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 56 सकारात्मक कानून का एक नियम निर्धारित करती है और मामले को पक्षों के इरादे के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ती है। 13. अंग्रेजी कानून में, इसलिए, अनुबंध की हताशा के सवाल को अदालतों द्वारा पक्षों के सच्चे इरादे के आधार पर निर्माण के सवाल के रूप में माना गया है। इसके विपरीत, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 में निहित वैधानिक प्रावधान कानून के एक सकारात्मक नियम को निर्धारित करते हैं और इसलिए अंग्रेजी अधिकारी प्रत्यक्ष सहायता नहीं कर सकते हैं, हालांकि उनके पास यह दिखाने में प्रेरक मूल्य है कि कैसे अंग्रेजी अदालतों ने समान परिस्थितियों में मामलों का संपर्क किया है और निर्णय लिया है।

14. हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर से वकील ने तर्क दिया कि अनुबंध निष्पादन के लिए असंभव नहीं था, और अपीलार्थी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों का सहारा नहीं ले सकता है। यह तर्क दिया गया था कि आयात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या 2-आई. टी. सी./48, दिनांक 6 मार्च, 1948 के खंड 1 के तहत अपीलार्थी के लिए लिखित अनुमति के लिए आवेदन करने का अधिकार था। चिकोरी को बेचने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण। अपीलार्थी द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि उसने ऐसी अनुमति के लिए आवेदन किया था और अनुज्ञप्ति प्राधिकरण ने ऐसी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसलिए प्रत्यर्थी की ओर से यह कहा गया कि अनुबंध निष्पादन के लिए असंभव नहीं था। हमें नहीं लगता कि इस तर्क में कोई सार है। यह सच है कि लाइसेंस प्राधिकरण के खंड 1 के तहत चिकोरी के निपटान के लिए लिखित अनुमति दी जा सकती थी।

माल का उपयोग केवल लाइसेंस धारक के कारखाने में कच्चे माल या सहायक उपकरण के रूप में उपभोग के लिए किया जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा किसी भी पक्ष को नहीं बेचा जाएगा। प्रतिवादी की ओर से आगे यह तर्क दिया गया कि, किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी खुले बाजार से चिकोरी खरीद सकता था और इसकी आपूर्ति कर सकता था। अनुबंध के संदर्भ में प्रतिवादी। इस तर्क में भी कोई सार नहीं है। अनुबंध के तहत बेचे जाने वाले चिकोरी की गुणवत्ता विशिष्ट विवरण की चिकोरी थी-"एगबट्र्स चिकोरी, [2020] 7 एस. सी. आर।

495 लकड़ी के डिब्बों में पैक किए गए, प्रत्येक डिब्बे में 56 पाउंड के 2 डिब्बे होते हैं। नेट "। चिकोरी की डिलीवरी दिसंबर, 1955 में "एस. एस. अलवाकी" द्वारा दी जानी थी। यह स्पष्ट है कि अनुबंध, Ex। ए-1 कुछ विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए था जैसा कि उसमें वर्णित है और यह अपीलार्थी के लिए किसी अन्य विवरण की चिकोरी की आपूर्ति करने के लिए खुला नहीं था। निर्णय के लिए प्रतिवादी की ओर से संदर्भ दिया गया था मैरीटाइम नेशनल फिश लिमिटेड बनाम। ओशन ट्रॉलर, लिमिटेड 1935 एसी 524। उस मामले में, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों को एक ऊदबिलाव ट्रॉल से सुसज्जित एक भाप ट्रॉलर किराए पर दिया। दोनों पक्षों को अनुबंध के समय पता था कि कनाडा सरकार से लाइसेंस के बिना ऊदबिलाव का उपयोग करना अवैध था। कुछ महीनों बाद अपीलकर्ताओं ने पांच ट्रॉलरों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिनका वे संचालन कर रहे थे, जिसमें उत्तरदाताओं का ट्रॉलर भी शामिल था। उन्हें सूचित किया गया था कि केवल तीन लाइसेंस दिए जाएंगे और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे यह बताएँ कि वे तीन ट्रॉलरों में से किसके लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं। उन्होंने उत्तरदाताओं के अलावा तीन ट्रॉलरों का नाम लिया, और फिर दावा किया कि वे अब चार्टर-पार्टी से बंधे नहीं थे क्योंकि इसका उद्देश्य निराश था। यह आयोजित किया गया था

न्यायिक समिति द्वारा कि अनुबंध की विफलता अपीलार्थियों के अपने चुनाव का परिणाम थी, और इसलिए अनुबंध की कोई निराशा नहीं थी। हम समझते हैं कि इस मामले का सिद्धांत भारतीय कानून पर लागू होता है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान "स्व-प्रेरित" मामले पर लागू नहीं हो सकते हैं।

अपीलार्थी पर आयातित चिकोरी को किसी अन्य पक्ष को नहीं बेचने के लिए लाइसेंस द्वारा लगाया गया था, लेकिन उसे केवल अपने कारखाने में कच्चे माल के रूप में उपयोग करने की अनुमति थी। हम, तदनुसार यह राय रखते हैं कि प्रतिवादी के वकील इस पहलू पर अपने तर्क को अच्छा बनाने में असमर्थ रहे हैं मामला "।

52. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आत्म-प्रेरित हताशा थी। उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि यह अनुबंध अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि सहयोग विपणन की धारा 56 के तहत निराशा का मामला नहीं था

लेकिन समझौते के खंड 14 में एक शर्त थी, जिसके प्रभाव की अनदेखी की गई और अनदेखी की गई, और उक्त शब्द भारत में लागू कानून पर आधारित था और निर्यात प्रतिबंधों पर आधारित था, यह सार्वजनिक नीति के दायरे में था। नाफेड एक नहर बनाने वाली एजेंसी थी और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आपूर्ति नहीं कर सकती थी, और न ही यह कानूनी रूप से पिछले साल की आपूर्ति को अगले साल तक आगे बढ़ा सकती थी, जो भी सीमित कोटा था और इसे बनाने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता थी। निर्यात नीति और सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए इस तरह के पुरस्कार का प्रवर्तन 1961 के अधिनियम की धारा 7 में परिकल्पित सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा। 53. राम कुमार बनाम। पी. सी. रॉय एंड कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, ए. आई. आर. 1952 कैल. 335 (338) , पार्टियां वैगनों की आपूर्ति पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से अवगत थीं, लेकिन प्रदर्शन की तारीख तक सामान्य स्थितियों की उम्मीद थी। वैगन प्रतिबंध प्रदर्शन की तारीख तक जारी रहे, और आपूर्ति में विफलता थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध अमान्य हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करना असंभव था, और पक्षों को उनकी देनदारियों से मुक्त कर दिया गया था। वर्तमान मामले में भी, पक्षकारों को पता था कि सरकार अनुमति दे सकती है या नहीं भी दे सकती है और

उक्त शर्त के साथ अनुबंध। इस प्रकार, सरकार द्वारा सहमति नहीं देने के कारण, यह प्रदर्शन करने में असमर्थ हो गया, और इसलिए, नाफेड को लागू करने योग्य अनुबंध नुकसान का भुगतान करने के दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। राम कुमार (उपरोक्त) उच्च न्यायालय ने कहाः

" 20. निराशा इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में क्या हुआ है और अनुबंध को पूरा करने की संभावना पर इसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ एक

पार्टी का दावा है कि निराशा हुई है और दूसरा पक्ष

इसका विरोध करते हुए, न्यायालय को इस मुद्दे पर 'पूर्व कार्योत्तर' निर्णय लेना है

मामले की वास्तविक परिस्थितियाँ।

" निर्णय के लिए डेटा, एक ओर, अनुबंध की शर्तों और निर्माण, तत्कालीन मौजूदा परिस्थितियों के प्रकाश में पढ़ा जाता है, और दूसरी ओर ऐसी घटनाएं जो हैं

हुआ। यह अदालत को तय करना है कि क्या सच है।

पक्षों के बीच स्थिति "।

' डेनी मॉट का मामला, 1944 ए. सी. 265। लॉर्ड सुमनर ने 'हिरजी मुलजी' मामले (1926) ए. सी. 497 में कहा कि अनुबंध की हताशा पार्टियों के इरादे या उनकी राय या यहां तक कि उन घटनाओं के बारे में ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है जो

निराशा के बारे में लाया लेकिन इस तरह की घटना पर परिस्थितियाँ जो इसे आगे [2020] 7 एस. सी. आर. के साथ असंगत दिखाती हैं।

साहसिक कार्य का अभियोजन। मेरे विचार से यह सिद्धांत लागू होता है।

इस मामले में।

23. अनुबंध का मुख्य उद्देश्य रेलवे द्वारा बिहार से बंगाल में माल का परिवहन करना था और मेरी राय में, जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अनुबंध के आधार को हटा दिया गया है। पक्षों के स्पष्ट इरादे के अभाव में, मुझे यह निर्धारित करना होगा कि परिवहन के लिए वैगनों की अनुपलब्धता और प्रतिबंधों या आपातकालीन आदेशों से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए क्या उचित और उचित है। अब हो सकता है

स्थापित कानून के रूप में स्वीकार किया जाता है कि जब लोग एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं जो किसी विशिष्ट चीज़ की निरंतर उपलब्धता पर अपने प्रदर्शन के लिए निर्भर है और वह उपलब्धता पक्षों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण समाप्त हो जाती है; अनुबंध भंग हो जाता है। लॉर्ड राइट के अनुसार, 'अनुबंध की हताशा' अभिव्यक्ति एक अण्डाकार अभिव्यक्ति है। पूर्ण और अधिक सटीक अभिव्यक्ति 'साहस या अनुबंध के वाणिज्यिक या व्यावहारिक उद्देश्य की हताशा' है। मेरे विचार में, इस अनुबंध के वाणिज्यिक या व्यावहारिक उद्देश्य को सरकार की ओर से इनकार करने से पराजित या उखाड़ फेंका गया था। परमिट जारी करना और परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और प्रतिबंधों द्वारा। & अंततः पी. एल. एफ. एफ. के स्टॉक की मांग द्वारा। अनुबंध का वास्तविक उद्देश्य जैसा कि विचार किया गया है

पक्षों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए माल की खरीद या रोजगार था और इसलिए, हताशा का सिद्धांत हो सकता है

आयातित और यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक शर्तें निहित की जा सकती हैं।

54. कुंजीलाल मनोहर दास बनाम। दुर्गा प्रसाद देवी प्रसाद,

ए. आई. आर. 1920 कै. 1021 (1024) , सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की पूरी जानकारी रखने वाले दलों ने रेल द्वारा माल भेजने के लिए एक समझौता किया। वे सरकारी प्रतिबंधों से अवगत थे। हालांकि, जिस समय अनुबंध का प्रदर्शन आया था, प्रतिबंधों को हटाया नहीं गया था। विक्रेता के लिए डिलीवरी करना असंभव था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध अमान्य हो गया और विक्रेता को उसके निष्पादन से छूट दे दी गई, और खरीदार को विक्रेता से किसी भी मुआवजे की वसूली का हकदार नहीं ठहराया गया, इस प्रकारः

..... सिद्धांत केवल यह है कि जब आप अनुबंध में प्रवेश करने के समय पक्षों के इरादे को ध्यान में रखते हैं, तो वकील गलती करने के लिए उपयुक्त है यदि वह मानता है कि अनुबंध करने वाले पक्षों का इरादा परिस्थितियों की स्थिति लाना है।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस प्रकार कि नुकसान के कानूनी उपचार का सहारा लेने की आवश्यकता होगी, वकीलों को यह मानते हुए कि यह वाणिज्यिक के इरादे को विकृत कर देगा इस तरह के मामलों में पुरुष। कि ऐसा होने के नाते, और इस सिद्धांत को लागू करना कि यह अनुबंध के लिए उदासीनता से किया गया अनुबंध नहीं था

माल की बिक्री या नुकसान के भुगतान के लिए, लेकिन के लिए एक अनुबंध

माल की डिलीवरी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदर्शन है,

यह असंभव है कि अनुबंध इस धारणा पर किया गया है कि इस वर्ष मार्च या अप्रैल तक चीजों की सामान्य स्थिति अस्तित्व में आ गई होगी, अनुबंध का इरादा विकृत हो जाएगा, अगर मेरा मानना था कि विक्रेता सरकार के नियंत्रण के इस अवसर के खिलाफ खरीदारों का बीमा करना चाहते हैं। इन कारणों से, मैं उन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ जो मुझे पूछे गए हैं।

इस तरह सेः सबसे पहलेः -किया, यहाँ पहले की परिस्थितियों में उल्लिखित, इस तरह का अनुबंध अमान्य हो जाता है और विक्रेता थे

उसके प्रदर्शन से क्षमा? मेरा जवाब है, "हाँ", अनुबंध उल्लंघन से पहले अमान्य हो गया। दूसराः — क्या खरीदार विक्रेताओं से कोई मुआवजा वसूलने के हकदार हैं? मैं जवाब देता हूँ।

कि "नहीं", या तो उन वस्तुओं के संबंध में जो अप-कंट्री स्टेशन पर तैयार पड़ी थीं जिन्हें रेलवे कंपनी ने प्रेषण के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या उन वस्तुओं के संबंध में जो इस तरह से वितरित नहीं की गई थीं। मैं दूसरे प्रश्न के दोनों भागों के लिए "नहीं" का उत्तर देता हूं क्योंकि प्रदर्शन असंभव हो गया है, कोई निविदा नहीं हो सकती थी।

रेलवे कंपनी पर कोई प्रभाव। इस मामले में यह जोड़ना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय पूरी तरह से समझौते द्वारा मुझे दिए गए तथ्यों पर आगे बढ़ता है, न कि केवल

अनुबंध और रेलवे यातायात की स्थिति के संबंध में तथ्य लेकिन पक्षों की धारणाओं और इरादों के संबंध में बताए गए तथ्य भी। जब तथ्यों का बाद वाला वर्ग समान नहीं होता है, तो यह बहुत संभव है कि पूरी तरह से अलग-अलग विचार प्रबल होंगे।

55. श्रीमती में। सुशीला देवी और ओआरएस। वी. हरि सिंहंद ओआरएस। , (1971)

सी 288, इस न्यायालय ने धारा 56 पर विचार करते हुए कहा कि विचार की गई व्यवहार्यता किसी ऐसी चीज तक सीमित नहीं है जो नहीं है

संभव है। यदि अनुबंध का निष्पादन हो गया

व्यवहार्य, जो पक्षों के विचार में था, तो यह माना जाना चाहिए कि समझौते का प्रतिपादन असंभव हो गया था। अदालत ने कहाः

" 11. हमारी राय में, इस बिंदु पर, अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष टिकाऊ नहीं है। लेकिन वास्तव में, जैसा कि निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने पाया, वादी [2020] 7 एस. सी. आर. के लिए यह असंभव था।

यहाँ तक कि पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए भी। निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत दोनों ने पाया है कि प्रचलित होने के कारण

परिस्थितियों में, वादी के लिए पट्टे पर दी जाने वाली संपत्तियों पर कब्जा करना या यहां तक कि किसानों से किराया वसूलना भी असंभव था। उस स्थिति के लिए, वादी नहीं थे

किसी भी तरह से जिम्मेदार। जैसा कि इस न्यायालय ने सत्यब्रत घोष बनाम में कहा है। मुगनीरामबंगुर एंड कंपनी, (1954) एससीआर 310, हताशा के सिद्धांत वास्तव में कानून का एक पहलू या हिस्सा हैं।

पर्यवेक्षण असंभवता के कारण अनुबंध का निर्वहन या

ऐसा करने के लिए सहमत अधिनियम की अवैधता और इसलिए यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है। यह विचार कि धारा 56 केवल भौतिक असंभवता के मामलों पर लागू होती है और जहां यह धारा लागू नहीं होती है, निराशा के विषय पर अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है, सही नहीं है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 सकारात्मक कानून का नियम निर्धारित करती है और मामले को पक्षों के इरादे के अनुसार निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ती है। द्वारा परिकल्पित असंभवता अनुबंध
अधिनियम की धारा 56 किसी ऐसी चीज तक सीमित नहीं है जो मानवीय रूप से संभव नहीं है। यदि किसी अनुबंध का निष्पादन अव्यवहारिक या बेकार हो जाता है, तो पक्षों के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि अनुबंध का निष्पादन असंभव हो गया है। लेकिन पर्यवेक्षण घटनाओं को अनुबंध के आधार को छीन लेना चाहिए, और यह इस तरह का होना चाहिए कि यह अनुबंध की जड़ पर प्रहार करे।

इस मामले में, 'अपेक्षित घटना' सरकार द्वारा एक इनकार था जैसा कि समझौते के खंड 14 के तहत सहमति हुई थी। की घटना पर

ऐसी घटना, यह इतनी मौलिक है कि कानून द्वारा इसे जड़ पर प्रहार करने वाला माना जाता है। इस प्रकार, हमारी राय है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में अनुबंध को अमान्य कर दिया गया था।

56. नारायण चंद्रशेखर शेनॉय और ब्रदर्स में। एकमात्र मालिक नारायण शानबोग बनाम। आर. पलानीअप्पा मुदलियार, आकाशवाणी 1952

पागल। 670 , एक सवाल उठा कि क्या प्रतिवादी को रेल द्वारा गुड़ की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी, जो एक के जारी होने से असंभव हो गया

रेल द्वारा गुड़ की आवाजाही को नियंत्रित करने वाली सरकारी अधिसूचना। वादी ने अतिरिक्त व्यय वहन करने से इनकार कर दिया

परिवहन के साधन में परिवर्तन। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह मानते हुए भी कि अनुबंध निष्पादन के लिए असंभव नहीं था, प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया। तत्काल मामले में, निर्यात

सरकार के इनकार के कारण यह असंभव हो गया।

58. यह भी स्पष्ट है कि सरकार ने अगले सत्र में पिछले सत्र की दर से की जा रही आपूर्ति पर ठीक ही आपत्ति जताई, विशेष रूप से जब कीमतें तीन बार बढ़ीं। बाद में, अनुचित तरीके से परिशिष्ट में प्रवेश किया गया, और पक्षकार पूरी तरह से समझ गए कि सरकार उस दर पर निर्यात की अनुमति नहीं देगी जिस पर आपूर्ति प्रस्तावित की गई थी, और नाफेड केवल भारत सरकार के एक नहर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था। इस प्रकार, इस तरह के अनुचित अनुबंध के लिए, अनुमति थी सरकार द्वारा सही ढंग से अस्वीकार किया गया। पिछले वर्ष, आकस्मिक दबाव के कारण वस्तु की आपूर्ति नहीं की जा सकी थी। दिसंबर 1980 और जनवरी 1981 में भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी स्थिति में आपूर्ति नहीं की जा सकती थी।

59. अगला सवाल यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का आधार पुरस्कार देने के लिए पर्याप्त था

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में अप्रवर्तनीय। धारा 7 यहाँ नीचे निकाली गई है:

(1) इस अधिनियम के तहत कोई विदेशी पुरस्कार लागू नहीं किया जा सकता है - (क) यदि वह पक्ष जिसके विरुद्ध पुरस्कार लागू करने की मांग की जाती है।

मामले से निपटने वाली अदालत को साबित करता है कि

(i) समझौते के पक्षकार, उन पर लागू कानून के तहत, कुछ अक्षमता के तहत थे, या उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए पक्षों ने इसे अधीन किया है, या देश के कानून के तहत उस पर किसी भी संकेत में विफल रहे हैं। जहाँ पुरस्कार दिया गया था; या

((ii) उस पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या

अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ; या [2020] 7 एस. सी. आर.

(iii) पुरस्कार उन प्रश्नों से संबंधित है जिनका उल्लेख नहीं किया गया है या जिनमें शामिल नहीं हैं।

समझौते के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णयः

बशर्ते कि यदि मामलों पर निर्णय मध्यस्थता को प्रस्तुत किए जाते हैं

प्रस्तुत नहीं किए गए लोगों से अलग किया जा सकता है, जिसका वह हिस्सा पुरस्कार जिसमें प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता लागू की जा सकती है; या

((iv) मध्यस्थ प्राधिकारी या मध्यस्थ की संरचना प्रक्रिया समझौते के अनुसार नहीं थी

पक्षकार या, इस तरह के समझौते में विफल होना, के अनुसार नहीं था

उस देश का कानून जहाँ मध्यस्थता हुई थी; या

(v) पुरस्कार अभी तक पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हो गया है या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अलग या निलंबित किया गया है

वह देश जिसमें, या जिसके कानून के तहत, वह पुरस्कार बनाया गया था; या

(ख) यदि मामले से निपटने वाले न्यायालय का समाधान हो कि

((i) विषय-अंतर का विषय सक्षम नहीं है

भारत के कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा समझौता; या

((ii) पुरस्कार का प्रवर्तन जनता के विपरीत होगा।

नीति।

(2) यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष विदेशी पुरस्कार की मांग की जाती है इस बात से संतुष्ट है कि अलग रखने के लिए एक आवेदन या

पुरस्कार का निलंबन एक सक्षम प्राधिकारी को कर दिया गया है

उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (वी) में निर्दिष्ट,

न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो निर्णय को स्थगित कर सकता है

पुरस्कार का प्रवर्तन और इसके आवेदन पर भी

पुरस्कार के प्रवर्तन का दावा करने वाला पक्ष, दूसरे पक्ष को आदेश दें कि

उचित सुरक्षा प्रदान करें। "

(जोर दिया गया)

60. धारा 7 (1) (ख) (ii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि न्यायालय कार्य कर रहा है।

मामला संतुष्ट है कि पुरस्कार का प्रवर्तन होगा

सार्वजनिक नीति के लिए, विदेश पुरस्कार लागू नहीं किया जा सकता है। द.

जी. एन. पुरस्कार भी धारा के अनुसार मामले में निष्पादित नहीं किया जा सकता है।क) (i) यदि लागू कानून के तहत समझौते के पक्षकार हैं

कुछ अक्षमता या समझौता कानून के तहत मान्य नहीं है। इसी तरह

एन. सी. ए. धारा 7 (1) (ए) (ii) में प्रदान किया गया है यदि नियुक्ति की उचित सूचना राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन

मध्यस्थ का नाम नहीं दिया गया है या पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ था। धारा 7 (1) (ए) (iii) में प्रावधान है कि यदि पुरस्कार उन प्रश्नों से संबंधित है जो निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं या जिनके दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

समझौता पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाता है। धारा 7 (1) (ए) (iv) एक पुरस्कार को लागू करने में सक्षम नहीं बनाती है

समझौते से संबंधित अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति" उस देश की सार्वजनिक नीति से संबंधित है जहां पुरस्कार लागू किया जा रहा है। की धारा 23 अनुबंध अधिनियम, 1872 इस बात से संबंधित है कि कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं और क्या नहीं। यदि न्यायालय इसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति का विरोध मानता है, तो उस स्थिति में, समझौते पर विचार या उद्देश्य को गैरकानूनी कहा जाता है, और कोई भी समझौता जिसका उद्देश्य या विचार है

गैरकानूनी अमान्य है।

62. केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और

एन. आर. वी. ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्र। 1986 (3) एससीसी 156, अदालत ने कहा कि अनुबंध अधिनियम सार्वजनिक नीति की अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है या

सार्वजनिक नीति के खिलाफ। सार्वजनिक नीति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत विस्तार या संशोधन करने में सक्षम हैं।

63. रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994 सप. (1) एस. सी. सी. 644, जिसका अर्थ है विदेश पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) के तहत "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति, के बीच सार्वजनिक नीति के नियम को लागू करते समय विचार और विशिष्टता के लिए सामने आई।

धारा 7 (1) (बी) (ii) में नीति "और यह राय दी गई है कि उक्त प्रावधान के तहत सार्वजनिक नीति के सिद्धांत का अर्थ होगा कि भारत में अदालतें इसे लागू करती हैं। यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत है यदि ऐसा प्रवर्तन (1) भारतीय कानून की मौलिक नीति, (2) भारत के हित और (3) न्याय या नैतिकता के विपरीत होगा। संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 63. "अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति" की व्यवहार्य परिभाषा के अभाव को देखते हुए, हमें "सार्वजनिक [2020] 7 एस. सी. आर". अभिव्यक्ति का अर्थ निकालना मुश्किल लगता है।

इस आधार पर कि पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसी प्रभाव के लिए प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है 1837 जिसके लिए यह आवश्यक है कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन भारत की सार्वजनिक नीति या कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। चूँकि "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति उस क्षेत्र को शामिल करती है जो "और भारत के कानून" शब्दों द्वारा कवर नहीं किया गया है, जो उक्त अभिव्यक्ति का अनुसरण करते हैं,

अकेले कानून का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करेगा, और कानून के उल्लंघन से कुछ अधिक की आवश्यकता है। 66. 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन का अनुच्छेद V (2) (b) और

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने को इस आधार पर अभिनिर्धारित नहीं करती है कि यह देश के प्रवर्तन कानून के विपरीत है।

और चुनौती का आधार मान्यता और प्रवर्तन तक सीमित है जो उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत है जिसमें पुरस्कार लागू किया जाना है। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (2) (b) और विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (b) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया गया है जिसमें इसका उपयोग 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद I (c) और 1937 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि

" धारा 7 (1) (बी) (ii) में सार्वजनिक नीति का उपयोग एक संकीर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोगात्मक विपणन में किया गया है।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

अर्थ और सार्वजनिक नीति के बार को आकर्षित करने के लिए

पुरस्कार के प्रवर्तन से कुछ अधिक का आह्वान करना चाहिए

भारत के कानून का उल्लंघन। चूंकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम है

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित

जो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का अनिवार्य रूप से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए -

सार्वजनिक नीति का सिद्धांत निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू किया जाता है। उक्त मानदंड को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रवर्तन

किसी विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वह

सार्वजनिक नीति के विपरीत यदि ऐसा प्रवर्तन विपरीत होगा (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii) भारत के हित; या (iii) न्याय या नैतिकता।

67. धारा के तहत सार्वजनिक नीति के दायरे की जांच करना

7 (1) (ख) विदेशी पुरस्कार अधिनियम के (ii) अब हम उन विभिन्न आधारों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे जिनके आधार पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रवर्तन को रोकने के लिए रेनुसागर द्वारा उक्त प्रावधान का आह्वान किया गया है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, रेनुसागर ने उक्त प्रावधान को इस आधार पर लागू किया है कि पुरस्कार का प्रवर्तन

इस कारण से सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा कि

प्रवर्तन

(क) एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन शामिल होगा; (ख) रेनुसागर द्वारा दायर रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवहेलना नहीं करने के लिए रेनुसागर को दंडित करने के समान होगा;

(ग) ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली को सक्षम बनाएगा;

(घ) इसके परिणामस्वरूप नुकसान पर नुकसान का भुगतान होगा;

(ई) इसके परिणामस्वरूप जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा;

हम प्रत्येक के तहत विद्वान वकील की प्रस्तुतियों की जांच करेंगे। अलग से सिर करें। "

64. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम। सॉ पाइप्स

2003) 5 एस. सी. सी. 705, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि घरेलू पुरस्कारों के संबंध में धारा 34 (ii) के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में "सार्वजनिक नीति" वाक्यांश को व्यापक रूप से दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहाः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 15. परिणाम यह है कि यदि पुरस्कार कानून के मूल प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है या अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है, तो यह स्पष्ट रूप से अवैध होगा, जिसमें धारा 34 के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है। हालांकि, प्रक्रिया की ऐसी विफलता पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला पेटेंट होना चाहिए।

"भारत की सार्वजनिक नीति" वाक्यांश का क्या अर्थ हो सकता है? 16. अगला खंड जिसके लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है, वह धारा 34 की उप-धारा (2) (बी) का खंड (ii) है, जो अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान करता है कि न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर सकता है यदि यह विवादित है।

"भारत की सार्वजनिक नीति" के साथ। वाक्यांश "की सार्वजनिक नीति अधिनियम के तहत भारत को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, उक्त शब्द को संदर्भ में अर्थ दिया जाना चाहिए और उद्देश्य पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पीढ़ी और समय-समय पर। इसलिए, "सार्वजनिक नीति" की अवधारणा को अस्पष्ट, संकीर्ण या व्यापक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील माना जाता है, जो उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। कमी है। उदाहरण के लिए, न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम, अनुबंध अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अपना अर्थ देना होगा।

30. यह सच है कि अधिनियम के तहत, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 23 और 28 के समान कोई प्रावधान नहीं है, जो विशेष रूप से

बशर्ते कि मध्यस्थ उचित अवधि के भीतर निर्णय पारित कर दे

न्यायालय द्वारा निर्धारित समय। यह भी सच है कि कभी-कभी मध्यस्थता की कार्यवाही में किसी न किसी कारण से देरी होती है, लेकिन यह पक्षकारों पर है कि वे उचित मध्यस्थ का चयन करने के लिए उचित कार्रवाई करें जो उनके द्वारा निर्धारित उचित समय के भीतर मामले का निपटारा कर सकें। यह उनके लिए है कि वे मध्यस्थता कार्यवाही के निपटारे के लिए समय-सीमा इंगित करें। यह उन्हें तय करना है कि क्या उन्हें मध्यस्थों के साथ बने रहना चाहिए जो उचित समय के भीतर मामले का निपटारा नहीं कर सकते हैं। तथापि, मध्यस्थों द्वारा विवाद का निर्णय करने के लिए समय-सीमा प्रदान न करने का धारा 34 की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसके अलावा, विवाद के तेजी से निपटारे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कानून के अनुसार न्याय का त्याग नहीं किया जा सकता है। हमारे विचार में, निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए न्यायालय को सीमित अधिकार क्षेत्र देना और तेजी से राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन द्वारा विवाद का समाधान करना।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

स्पष्ट रूप से अनुमति देने से विधि बहुत अधिक निराश होगी।

संचालित करने के लिए अवैध पुरस्कार। स्पष्ट रूप से अवैध पुरस्कार की आवश्यकता है

शून्य पर सेट करें, अन्यथा यह अन्याय को बढ़ावा देगा।

31. इसलिए, हमारे विचार में, संदर्भ में धारा 34 में उपयोग किए गए वाक्यांश "भारत की सार्वजनिक नीति" को व्यापक अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा कुछ ऐसे मामलों को इंगित करती है जो सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित से संबंधित हैं। सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए क्या है या सार्वजनिक भलाई या सार्वजनिक हित के लिए क्या हानिकारक या हानिकारक होगा, यह समय-समय पर अलग-अलग होता रहा है। हालाँकि, जो पुरस्कार, इसके बावजूद, वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, उसे जनहित में नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के पुरस्कार/निर्णय/निर्णय से न्याय के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, हमारे विचार में "सार्वजनिक नीति" शब्द को दिए गए संकीर्ण अर्थ के अलावा

रेनुसागर मामला, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644, यह अभिनिर्धारित करना आवश्यक है कि पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है। इसका परिणाम पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है यदि यह इसके विपरीत है:

(क) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या

((ख) भारत का हित; या

((ग) न्याय या नैतिकता, या

(घ) इसके अलावा, यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

अवैधता मामले की जड़ तक जानी चाहिए और यदि अवैधता तुच्छ प्रकृति की है तो यह नहीं माना जा सकता है कि पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। पुरस्कार को रद्द भी किया जा सकता है यदि यह इतना अनुचित और अनुचित है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है। इस तरह का पुरस्कार सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है

शून्य "।

अतिरिक्त परीक्षण निर्धारित किए गए थे। अभिव्यक्ति 'स्पष्ट रूप से अवैध'

घरेलू पुरस्कारों के संबंध में सार्वजनिक नीति में भी शामिल किया गया था। अवैधता मामले की जड़ तक जाती है, या यदि निर्णय अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, तो यह स्पष्ट रूप से अवैध होगा। पक्ष की मंशा समझौते से जुटाई जानी चाहिए। यह देखा गया कि मध्यस्थता कार्यवाही में गंभीर प्रक्रियात्मक दोष निर्णय को बरकरार रखने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान कर सकते हैं। तत्काल मामले में, हम प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं

सार्वजनिक नीति से संबंधित उपरोक्त पहलू; हमें समझौते के खंड 14 को मुख्य रूप से दिए गए मामले पर विचार करना होगा।

65. श्री लाल महल लिमिटेड बनाम। प्रोजेटो ग्रानो स्पा, (2014) 2

एस. सी. सी. 433, रेनुसागर (ऊपर) का अनुपात लागू किया गया था, और यह माना गया था कि भारत की सार्वजनिक नीति की अभिव्यक्ति और अवधारणा इसके अनुप्रयोग में घरेलू मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन के संबंध में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन में संकीर्ण है। कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ इस आधार पर एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आवश्यक है कि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत है भारत। इस अदालत ने आगे कहा कि धारा 48 (2) (बी) में "भारत की सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का वही महत्व है जो "सार्वजनिक" अभिव्यक्ति का है।

विदेश पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में नीति। इसने आगे यह राय दी कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त अपील बोर्ड द्वारा तथ्य की त्रुटियाँ,

उस रिपोर्ट पर जो अनुबंध की शर्तों के साथ असंगत थी, भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के आधार पर किसी विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता को बाधित नहीं करेगी और न्यायालय इस पर गौर नहीं कर सकता है -

विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के स्तर पर पुरस्कार के गुण, और कहाः

" 27. हमारे विचार में इस न्यायालय द्वारा क्या कहा गया है

रेनुसागर, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644, धारा के संदर्भ में

7 (1) (ख) विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा समान रूप से लागू होनी चाहिए -

1996 के अधिनियम की धारा 48 (2) (बी) की परिधि और दायरा। में।

रेनुसागर, यह स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है कि अभिव्यक्ति

" विदेश पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में सार्वजनिक नीति भारत की सार्वजनिक नीति को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "सार्वजनिक नीति"

धारा 7 (1) (बी) (ii) में उपयोग किया गया था जिसका अर्थ था

घरेलू कानून और संघर्ष से जुड़े मामले द्वारा शासित रेनुसागर में कानून देखे गए हैं। इन सब का कोई कारण नहीं है।

जांच के दायरे के संबंध में रेनुसागर को आवेदन क्यों नहीं करना चाहिए? धारा 48 (2) (बी) के तहत। रेनुसागर के बाद, हम सोचते हैं कि धारा 48 (2) (बी) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "की सार्वजनिक नीति"

34 (2) (ख) (ii) और धारा 48 (2) (ख) और "भारत में सार्वजनिक नीति" की अवधारणा दोनों धाराओं में प्रकृति में समान है, लेकिन हमारे विचार में, आवेदन डिग्री में भिन्न होता है क्योंकि ये दो खंड हैं

चिंतित हैं। "भारत की सार्वजनिक नीति" सिद्धांत राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन का अनुप्रयोग

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

धारा 48 (2) (बी) के प्रयोजनों के लिए अधिक सीमित है

घरेलू के संबंध में एक ही अभिव्यक्ति का अनुप्रयोग

मध्यस्थ पुरस्कार।

न्यायालय विदेशी अधिनिर्णय पर अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग नहीं करता है और न ही यह पूछताछ करता है कि क्या विदेशी अधिनिर्णय देते समय कुछ त्रुटि हुई है। धारा 48 (2) (बी) के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब

प्रवर्तन इसके विपरीत पाया गया हैः (1) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (2) भारत के हित; या (3) न्याय या नैतिकता।

अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं और इसलिए, विदेशी पुरस्कारों को धारा के तहत भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं माना जा सकता है। 48 (2) (बी)। ”

(2) न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता, (3) सभी न्याय अनुपालन, और (4) तर्कसंगतता के मानक। द.पेटेंट की अवैधता के अलावा न्याय और नैतिकता का प्रभाव

विभिन्न फैसलों का उपहास करते हुए, अदालत ने कहाः

" 18. रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.,

1994 पूरक (1) एस. सी. सी. 644, उच्चतम न्यायालय ने विदेशी पुरस्कारों (मान्यता और प्रवर्तन) की धारा 7 (1) (बी) (ii) का अर्थ लगाया।

अधिनियम, 1961:

“ 7. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें। — (1)

इस अधिनियम के तहत कोई विदेशी पुरस्कार लागू नहीं किया जा सकता है।

(ख) यदि मामले से निपटने वाले न्यायालय का समाधान हो कि

((ii) पुरस्कार का प्रवर्तन जनता के विपरीत होगा।

नीति "।

विदेश पुरस्कार के संदर्भ में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाते हुए, न्यायालय ने माना कि एक पुरस्कार इसके विपरीत है -

((i) भारतीय कानून की मौलिक नीति,

((ख) भारत का हित,

((ग) न्याय या नैतिकता,

इसे इस आधार पर अलग रखा जाएगा कि यह भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा। इसने आगे कहा कि एक उल्लंघन

भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत होना चाहिए क्योंकि क़ानून अधिनियमित किया गया है राष्ट्रीय आर्थिक हित के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्र विदेशी मुद्रा को न खोए जो राष्ट्र के आर्थिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है (एस. सी. सी. पी. देखें। 685, पैरा 75)। समान रूप से,

भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना करना भी भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली, केवल क़ानून के विपरीत होने के कारण, भारतीय कानून की किसी भी मौलिक नीति का उल्लंघन नहीं करेगी (एस. सी. सी. पीपी देखें। 689 & 693 , पैरा 85 और 95)।

27. सॉ पाइप्स [(2003) 5 एस. सी. सी. 705] निर्णय में निहित प्रत्येक शीर्ष पर आते हुए, हम पहले "भारतीय कानून की मौलिक नीति" शीर्ष पर चर्चा करेंगे। इसे पहले ही रेनुसागर से देखा जा चुका है।

[1994 बशर्ते (1) एस. सी. सी. 644] का निर्णय कि विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन और भारत में उच्च न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना को भारत की मौलिक नीति के विपरीत माना जाएगा।

भारतीय कानून। इसके साथ यह भी जोड़ा जा सकता है कि किसी उच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना का बाध्यकारी प्रभाव भारतीय कानून की मौलिक नीति का समान रूप से उल्लंघन होगा।

36. सार्वजनिक नीति का तीसरा आधार है, यदि कोई पुरस्कार न्याय या नैतिकता के खिलाफ है। कानून में ये दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। एक पुरस्कार को न्याय के खिलाफ तभी कहा जा सकता है जब यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे। इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। एक दावेदार अपने दावे को सीमित करने से संतुष्ट है, आइए हम 30 रुपये के राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन को कहें।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

मध्यस्थ के समक्ष दावे के बयान में और किसी भी समय नहीं

क्या वह कुछ और दावा करना चाहता है। अंततः मध्यस्थता पुरस्कार

उन्हें बिना किसी स्वीकार्य कारण के 45 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है या

औचित्य। जाहिर है, यह लोगों की अंतरात्मा को झकझोर देगा

न्यायालय और मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाएगा

यह आधार है कि यह "न्याय" के विपरीत है।

40. अब हम सार्वजनिक नीति के चौथे शीर्ष पर आते हैं, अर्थात्, पेटेंट अवैधता। यह याद रखना चाहिए कि धारा 34 (2) (बी) के स्पष्टीकरण के तहत, एक पुरस्कार के साथ टकराव में कहा जाता है

भारत की सार्वजनिक नीति यदि पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया गया था या

धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित। यह मैदान शायद सबसे पहला मैदान है जिस पर इंग्लैंड में अदालतें अंग्रेजी के तहत पुरस्कारों को अलग करती हैं। कानून। इस आधार पर जोड़ा गया (1802 में) यह आधार है कि एक मध्यस्थ

पुरस्कार को अलग कर दिया जाएगा यदि कानून की कोई त्रुटि थी

मध्यस्थ। आर. वी. में डेनिंग, एल. जे. द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।

नॉर्थम्बरलैंड क्षतिपूर्ति अपील न्यायाधिकरण, पूर्व पी शॉ,

(1952) 1 सभी ई. आर. 122: (सभी ई. आर. पी. 130 डी-ईः के. बी पी. 351)

" अब सांविधिक न्यायाधिकरणों को छोड़कर, मैं मध्यस्थों के निर्णयों की ओर मुड़ता हूं। राजा की पीठ ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया एक मध्यस्थ के पुरस्कार के साथ प्रमाणपत्र द्वारा, क्योंकि यह एक निजी न्यायाधिकरण था और विशेषाधिकार रिट के अधीन नहीं था। यदि पुरस्कार को अदालत का नियम नहीं बनाया गया था, तो एक पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र तरीका पुरस्कार पर कार्रवाई का विरोध करना या इक्विटी में बिल दायर करना था। यदि पुरस्कार को अदालत का नियम बनाया जाता है, तो मध्यस्थ के कदाचार के लिए इसे इस आधार पर दरकिनार करने के लिए अदालत में प्रस्ताव किया जा सकता है कि यह भ्रष्टाचार द्वारा प्राप्त किया गया था।

या अन्य अनुचित साधन (क़ानून 9 और 10 की वसीयत देखें। III, सी. 15)।

केंट बनाम. एल्स्टोब, (1802) 3 पूर्व 18, कि एक पुरस्कार को इसके बावजूद कानून की त्रुटि के लिए अलग रखा जा सकता है। इसके लिए खेद व्यक्त किया गया विलियम्स, जे., हॉजकिन्सन बनाम में। फर्नी, (1857) 3 सी. बी. (एन. एस.) 189, लेकिन अब अच्छी तरह से स्थापित है।

67. सैन्योंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम।

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.), (2019) 8 स्केल 41, सार्वजनिक नीति से संबंधित हमारा निर्णयः

" 23. इसलिए जो बात स्पष्ट है, वह यह है कि "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति

भारत की ", चाहे वह धारा 34 में निहित हो या धारा 48 में, अब इसका अर्थ" भारतीय कानून की मौलिक नीति "होगा जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (उपरोक्त) के पैराग्राफ 18 और 27 में समझाया गया है, यानी भारतीय कानून की मौलिक नीति को इस अभिव्यक्ति की" रेनुसागर "समझ में बदल दिया जाएगा। यह होगा

आवश्यक रूप से इसका मतलब है कि पश्चिमी गेको (सुप्रा) विस्तार है

हटा दिया गया। संक्षेप में, पश्चिमी गेको (ऊपर), जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर) के पैराग्राफ 28 और 29 में समझाया गया है, अब इस आधार पर एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने की आड़ में प्राप्त नहीं होगा कि मध्यस्थ ने न्यायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

न्यायालय का हस्तक्षेप पुरस्कार के गुण-दोष पर होगा, जिसकी संशोधन के बाद अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संबंध है, जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 18 और 34 (2) (ए) (iii) में निहित है, ये किसी पुरस्कार को चुनौती देने के आधार बने हुए हैं, जैसा कि 1996 के अनुच्छेद 30 में निहित है।

एसोसिएट बिल्डर्स (ऊपर)।

26. जहाँ तक भारत में किए गए घरेलू पुरस्कारों का संबंध है, संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 34 में जोड़ी गई उप-धारा (2ए) के तहत अब एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध है। यहाँ, पुरस्कार के चेहरे पर पेटेंट अवैधता दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो करती है

यह केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के बराबर नहीं है। संक्षेप में, जो भारतीय मूल नीति में शामिल नहीं है।

कानून ", अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से नहीं जुड़े कानून का उल्लंघन, पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है।

जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी पुरस्कार को अलग करने की बात आती है। 30. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ऐसा निर्णय जो विकृत है, जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स के पैराग्राफ 31 और 32 में समझा गया है।

(ऊपर), जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती का आधार नहीं है, निश्चित रूप से एक पेटेंट अवैधता के बराबर होगा।

पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देना। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अलावा, के आधार पर एक निष्कर्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों की पीठ के पीछे लिए गए दस्तावेज़ भी किसी भी सबूत के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होंगे जो राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन में नहीं है।

क्योंकि इस तरह का निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा। 31. इस तथ्य को देखते हुए कि संशोधित अधिनियम अब लागू होगा, और यह कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए "पेटेंट अवैधता" आधार लागू नहीं होगा, यह आवश्यक है।

धारा 34 (2) (ए) (iii) और (iv) में निहित आधारों का विज्ञापन करना जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं।

33. रेनुसागर (ऊपर) में, इस न्यायालय ने विदेशी पुरस्कारों (मान्यता) की धारा 7 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को चुनौती दी थी।

और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 [विदेशी पुरस्कार अधिनियम]। विदेशी पुरस्कार अधिनियम को 1996 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, यह देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 में ऐसे आधार हैं जो समझौते के अनुच्छेद V से लिए गए थे

विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन, 1958 ["न्यूयॉर्क कन्वेंशन"] पर, जो लगभग 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 48 के समान है, उक्त निर्णय न्यायिक समीक्षा के मापदंडों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है जब यह विदेशी पुरस्कारों या भारत में आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता की बात आती है, जो क्रमशः धारा 34 और 48 के तहत प्रवर्तन को चुनौती देने/अस्वीकार करने के आधार हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने धारा 34/48 (विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 के तहत आधारों के बराबर, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था) के तहत आधारों की जांच के दायरे को चित्रित किया और कहाः

34. 1927 के जिनेवा समझौते के तहत, विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद I के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा करना था

और अनुच्छेद II में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही शर्तें

अनुच्छेद I में निर्धारित मान्यता को पूरा किया गया, और

यदि न्यायालय खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट होता है तो पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार कर दिया जाएगा। मान्यता पर लागू होने वाले सिद्धांत और

विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन सार में है, समान रूप से

जिन्हें आम कानून में अंग्रेजी अदालतों द्वारा अपनाया गया था। (डाइसी एंड मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज़, 11 वीं संस्करण देखें। , खण्ड. आई, पी। 578) . हालाँकि, यह महसूस किया गया कि जिनेवा कन्वेंशन का नुकसान हुआ

कुछ दोष जो त्वरित निपटान में बाधा डालते हैं मध्यस्थता के माध्यम से विवाद। न्यूयॉर्क कन्वेंशन [2020] 7 एस. सी. आर. चाहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहुत अधिक सरल प्रावधान करके उक्त दोषों को ठीक करने के लिए

जिनके खिलाफ पुरस्कार लागू करने की मांग की जाती है, वे आधार पर विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन पर आपत्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 5 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) में निर्धारित और

न्यायालय, अपने प्रस्ताव पर, मान्यता से इनकार कर सकता है और

दो अतिरिक्त कारणों से विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में उपखंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) और अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में उल्लिखित कोई भी आधार अभिधारणा नहीं करता है। योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती।

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग अपने ग्रंथ द न्यूयॉर्क में

1958 का मध्यस्थता समझौताः एक समान न्यायपालिका की ओर

व्याख्या ने यह विचार व्यक्त किया हैः

यह कन्वेंशन की आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है

कि जिस न्यायालय के समक्ष विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन की मांग की गई है, वह पुरस्कार के गुण-दोष की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए आधारों की विस्तृत सूची

अनुच्छेद V में उल्लिखित प्रवर्तन से इनकार नहीं करता है

वास्तव में या कानून में मध्यस्थ द्वारा की गई गलती को शामिल करें। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत, का कार्य

प्रवर्तन न्यायाधीश एक सीमित न्यायाधीश है। नियंत्रण का प्रयोग किया गया

उसके द्वारा यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या एक की आपत्ति है

अनुच्छेद 5 (1) को अस्वीकार करने के आधारों के आधार पर प्रत्यर्थी उचित है और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसके देश की कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा। इस सीमा को इस सिद्धांत के आलोक में देखा जाना चाहिए कि

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता कि एक राष्ट्रीय न्यायालय

मध्यस्थता के सार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(पी। 269)

5. इसी तरह एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने कहा हैः

न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है एक पुरस्कार के गुण जिन पर कन्वेंशन लागू होता है और इस संबंध में, इसलिए, एक पुरस्कार की चुनौती को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय कानून की कुछ प्रणालियों के प्रावधानों से अलग है, जहां

कानून के बिंदुओं पर अदालतों में अपील की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

(रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल वाणिज्यिक मध्यस्थता, द्वितीय संस्करण। , पी। 461.)

37. इसलिए, हमारी राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की कार्यवाही में, अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है और यह उक्त कार्यवाही में एक पक्ष को गुण-दोष के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है। XXX XXX XXX

65. इसका तात्पर्य यह होगा कि सार्वजनिक नीति की रक्षा जो है

धारा 7 (1) (बी) (ii) के तहत अनुमेय को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 1927 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के अनुच्छेद I (e) के तहत मध्यस्थता के प्रवर्तन पर आपत्ति उठाने की अनुमति है।

पुरस्कार इस आधार पर दिया जाता है कि पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसी प्रभाव के लिए 1837 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम (एस. आई. सी. 1937) की धारा 7 (1) में प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या भारत के कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। चूंकि अभिव्यक्ति "सार्वजनिक" नीति "उस क्षेत्र को शामिल करती है जो शब्दों द्वारा कवर नहीं किया गया है" और भारत का कानून "जो उक्त अभिव्यक्ति का पालन करता है, केवल कानून का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करेगा और कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ आवश्यक है।

66. 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन का अनुच्छेद V (2) (b) और

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने को इस आधार पर अभिनिर्धारित नहीं करती है कि यह प्रवर्तन के देश के कानून के विपरीत है और चुनौती का आधार उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत मान्यता और प्रवर्तन तक सीमित है जिसमें पुरस्कार लागू किया जाना निर्धारित है। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (2) (b) और विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (b) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया गया है जिसमें इसका उपयोग 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद I (c) और 1937 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि धारा 7 (1) (बी) (2) में "सार्वजनिक नीति" का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है।

और सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए पुरस्कार के प्रवर्तन को भारत के कानून के उल्लंघन से कुछ अधिक का आह्वान करना चाहिए। चूँकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम से संबंधित है

नीति यदि ऐसा प्रवर्तन (i) मौलिक के विपरीत होगा भारतीय कानून की नीति; या (ii) भारत के हित; या (iii) न्याय या

नैतिकता।

इस निर्णय को निगेल ब्लैकबी, कांस्टेनटाइन पार्टासाइड्स, एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, फिफ्थ एड, 2009) ["रेडफर्न एंड हंटर"] द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर रेडफर्न और हंटर में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया थाः

11.56 . पहला, न्यूयॉर्क कन्वेंशन उस पुरस्कार के गुण-दोष पर किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है जिस पर कन्वेंशन लागू होता है। [यह कथन, जो इस पुस्तक के पहले के संस्करण में दिया गया था, तब से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक कं. अदालत ने

उन्होंने कहा कि उनकी राय में 'अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की गई है, [अधिनियम में उल्लिखित आधारों तक] सीमित है और यह उक्त कार्यवाही के किसी पक्ष को योग्यता के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है'। मॉडल भी नहीं

बी. बोर्न (वोल्टर्स क्लूवर, सेकंड एड., 2014) ["गैरी बोर्न"], विद्वान लेखक इस मामले के इस पहलू से इस प्रकार निपटते हैंः [12] मान्यता कार्यों में विदेशी या गैर-घरेलू पुरस्कारों के गुणों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

यह अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का एक लगभग पवित्र सिद्धांत है कि अदालतें मान्यता कार्यवाही में विदेशी या गैर-घरेलू मध्यस्थता पुरस्कारों में निहित मध्यस्थों के निर्णयों के सार की समीक्षा नहीं करेंगी। वस्तुतः प्रत्येक प्राधिकारी इस नियम और राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन को स्वीकार करता है।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

वस्तुतः कोई भी यह सुझाव नहीं देता है कि इस सिद्धांत को छोड़ दिया जाना चाहिए। जब राष्ट्रीय न्यायालय पुरस्कारों के गुणों की समीक्षा करते हैं, तो वे गुणों की समीक्षा को उचित ठहराने के बजाय अपनी कार्रवाई को सार्वजनिक नीति, अधिकार की अधिकता, या किसी अन्य अनुच्छेद V अपवाद के अनुप्रयोग के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं।

[ए] न्यूयॉर्क और अंतर अमेरिकी सम्मेलनों के तहत पुरस्कारों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं

न तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन और न ही इंटर-अमेरिकन कन्वेंशन में कोई अपवाद है जो किसी निर्णय को लागू न करने की अनुमति देता है क्योंकि मध्यस्थों को इस पर अपना निर्णय मिल गया था।

पक्षों के विवाद का सार गलत है, या यहाँ तक कि बुरी तरह से गलत भी है।

यह कन्वेंशन की भाषा से यथोचित रूप से स्पष्ट है, जो विदेशी और गैर-घरेलू पुरस्कारों की मान्यता से इनकार करने के लिए विशेष आधारों की अनुच्छेद V की विस्तृत सूची में गुणों की समीक्षा की संभावना का कोई संदर्भ नहीं देता है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के इतिहास के मसौदे में किसी भी प्राधिकरण के मध्यस्थता पुरस्कार के गुणों पर पुनर्विचार करने का कोई संकेत नहीं है।

मान्यता कार्यवाही। इसी तरह, मध्यस्थ के निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा के खिलाफ निषेध कन्वेंशन की व्याख्या करने वाले राष्ट्रीय न्यायालय प्राधिकरण के सबसे बुनियादी स्तंभों में से एक है। इस निषेध की बार-बार और समान रूप से राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा सामान्य कानून और नागरिक कानून दोनों क्षेत्राधिकारों में पुष्टि की गई है। सीधे शब्दों में: " न्यायालय केवल इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता है कि मध्यस्थ ने कानून या तथ्य की गलती की हो सकती है। पेरुसाहान पेर्टाम्बंगन मिन्याक दान

गैस बुमी नेगारा, 364 एफ. 3 डी 274,287-88 (5 वां सिर। 2004)]। इस प्रकार, लक्ज़मबर्ग सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में [24 का निर्णय] नवंबर 1993, XXI Y. B. Com. अरब। 617 , 623 (लक्समबर्ग कोर्टसुपरियर डी जस्टिस) (1996)]:

न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर किसी भी नियंत्रण का प्रावधान नहीं है

जिस तरह से मध्यस्थ योग्यता पर निर्णय लेते हैं, एकमात्र आरक्षण के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति का सम्मान करते हैं। भले ही स्पष्ट रूप से, तथ्य या कानून की गलती, यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है, तो भी न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने से इनकार करने का आधार नहीं है।

या, आयोजित कन्वेंशन के तहत एक ब्राजीलियाई मान्यता निर्णय के रूप में [19 अगस्त 2009 का निर्णय, एटेक मैनसमैन जीएमबीएच बनाम।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रॉड्रीमार एस/ए परिवहन उपकरण उद्योग और युद्धपोत गेरैस, XXXV Y. B. कॉम. अरब। 330 , 331 (ब्राजीलियाई ट्रिब्यूनल डी

जस्टिका) (2010)]:

ये प्रश्न मध्यस्थता पुरस्कार के गुणों से संबंधित हैं कि,

संघीय सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों के अनुसार और

इस सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा इस न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।

चूंकि किसी विदेशी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन सीमित है

पुरस्कार की औपचारिक आवश्यकताओं का विश्लेषण। टिप्पणीकारों ने समान रूप से इसी दृष्टिकोण को अपनाया है

सम्मेलन [उदाहरण के लिए, के. एच. बॉकस्टीगल, एस. क्रॉल एंड पी. देखें।

Nacimiento, जर्मनी में मध्यस्थता 452 (2007)]। (पीपी में। 3707-3710)

इसी तरह, कन्वेंशन पर UNCITRAL सचिवालय गाइड

(न्यूयॉर्क, 1958) (2016 संस्करण) ["न्यू यॉर्क पर UNCITRAL गाइड। यॉर्क कन्वेंशन "] में यह भी कहा गया हैः

9. अनुच्छेद V के तहत इनकार करने के आधारों में एक शामिल नहीं है

मान्यता और प्रवर्तन के लिए एक आवेदन के साथ अदालत जब्त कर ली गई कन्वेंशन के तहत मध्यस्थ के गुणों की समीक्षा नहीं की जा सकती है

न्यायाधिकरण का निर्णय। इस सिद्धांत की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई है न्यूयॉर्क कन्वेंशन पर मुकदमा कानून और टिप्पणी "।

(जोर दिया

गया)

68. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि

विदेशी पुरस्कारों की प्रवर्तनीयता, एफ. ओ. एस. एफ. ए. समझौते के खंड 14 और भारत में लागू कानून के अनुसार, सरकार की अनुमति के बिना कोई निर्यात नहीं हो सकता था, और नाफेड आपूर्ति करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास सत्र में कोई अनुमति नहीं थी।

आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए, इसे सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। मामला ऐसा है जो भारत और पक्षों की मौलिक नीति से संबंधित है।

वे इसके बारे में जानते थे और अनुबंध किया था कि खंड 14 में प्रदान की गई ऐसी आवश्यकता में, समझौते को उस आपूर्ति के लिए रद्द कर दिया जाएगा जो नहीं की जा सकी थी। आकस्मिकता होने पर अनुबंध अधिनियम की धारा 32 के तहत यह अमान्य हो गया। इस प्रकार, यह मध्यस्थता समझौते की स्पष्ट शर्तों के कारण नाफेड पर हर्जाने का भुगतान करने के दायित्व को कम करने के लिए खुला नहीं था क्योंकि अनुबंध अमान्य हो गया था। अगले सत्र में पिछले वर्ष की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं थी और फिर सरकार ने नाफेड को आपूर्ति करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इस प्रकार, यह राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन होगा।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

इस तरह के पुरस्कार को लागू करने के लिए भारत की मौलिक सार्वजनिक नीति के खिलाफ होने पर, तब की गई कोई भी आपूर्ति निर्यात से संबंधित भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगी, जिसके लिए भारत सरकार की अनुमति है।

आवश्यक था।

69. हमारी सुविचारित राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) में निहित प्रावधानों को देखते हुए पुरस्कार को प्रवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है। रेनुसागर (ऊपर) में निर्धारित परीक्षण के अनुसार, इसका प्रवर्तन भारतीय कानून की मौलिक नीति के खिलाफ होगा।

और न्याय की मूल अवधारणा। इस प्रकार, हम मानते हैं कि पुरस्कार है

अप्रवर्तनीय, और उच्च न्यायालय ने कानून की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण तरीके से अन्यथा अभिनिर्धारित किया।

70. यद्यपि उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, अन्य प्रश्नों में जाना आवश्यक नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि मध्यस्थ को नियुक्त किया गया था

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन। उच्च न्यायालय ने 20.3.1981 पर 22.4.1981 तक अंतरिम रोक लगा दी। 20.3.1981 दिनांकित एक टेलेक्स भेजा गया था जिसमें बताया गया था कि उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने 6.4.1981 दिनांकित पत्र के माध्यम से नाफेड को 20.4.1981 द्वारा अपना मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा। 9.4.1981 पर, नाफेड ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक के बारे में एफ. ओ. एस. एफ. ए. को सूचित किया। अंतरिम आदेश को 22.4.1981 पर अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था। 23.4.1981 पर, नाफेड के एक नामित श्री एफ. ए. डी. राल्फ को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एफ. ओ. एस. एफ. ए. द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।

71. यह भी आग्रह किया गया कि उसके बाद, इस न्यायालय ने 30.4.1982 पर कार्यवाही पर रोक लगा दी, इसका जवाब अलीमेंटा एस. ए. ने 4.5.1982 पर नाफेड को दिया।

कि इस न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार नहीं था।

यह भी तर्क दिया गया कि 1.5.1981 पर, नाफेड ने मध्यस्थता में उनके प्रतिनिधित्व के लिए श्री F.A.D.Ralphe की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। उस पर

30.10.1981 , नाफेड ने मध्यस्थता कार्यवाही को रोकने के लिए एलिमेंटा एस. ए. और मध्यस्थ के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को मध्यस्थों की नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था; यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। एफ. ओ. एस. एफ. ए. नियमों के नियम 1 (ए) के अनुसार, प्रत्येक पक्ष को अपने मध्यस्थों को नामित करने का अधिकार था। नियम 1 (डी) के अनुसार, पार्टी

मध्यस्थता का दावा करने वाला केवल दूसरे पक्ष की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एफ. ओ. एस. एफ. ए. को आवेदन कर सकता है। चूंकि प्रतिबंध आदेश था, इसलिए नियमों के नियम 1 (डी) के तहत एफ. ओ. एस. एफ. ए. द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति अवैध थी। मध्यस्थता का दावा करने वाला पक्ष केवल दूसरे पक्ष की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। वरिष्ठ वकील आगे [2020] 7 एस. सी. आर.

मेरा मानना है कि की गई कार्रवाई प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन थी और मनोहर में दी गई राय के अनुसार अदालत के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है।मृत) एलआरएस द्वारा। वी. एलआरएस द्वारा उग्रसेन (मृत)। & ओआरएस। , (2010) 11 एस. सी. सी. मनोहर लाल (ऊपर) मामले में, अदालत ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 24. मुलराज बनाम। मूर्ति रघुनाथजी महाराज, आकाशवाणी 1967 एस. सी.

1386 , इस न्यायालय ने बाद में की गई कार्रवाई के प्रभाव पर विचार किया

न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा में की गई कार्रवाई अवैध होगा। बाद की कार्रवाई एक शून्य होगी।

25. सुरजित सिंह बनाम। हरबंस सिंह, (1995) 6 एस. सी. सी. 50, यह

न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए कहाः (एस. सी. सी पी. 52 , पैरा 4)

" 4. ..... प्रतिबंध आदेश की अवहेलना में, अलगाव /

अधिकार भी, अलगाव/असाइनमेंट को न होने के रूप में मानने का यह अपने उद्देश्यों के लिए किया गया था।

26. अखिल बंगाल उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संगठन में। वी. राघबेन्द्र सिंह, (2007) 11 एस. सी. सी. 374, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी पी. 387 ,

पैरा 28)

" 28 ..... मुकदमे में एक पक्ष को अनुमति नहीं दी जा सकती है अंतरिम आदेश का उल्लंघन करके अनुचित लाभ

और उसके परिणामों से बच जाते हैं। गलत कार्य किए जाते हैं आदेश की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए प्रतिवादी अवमानकों द्वारा

उच्च न्यायालय को अच्छा ठहरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

27. डीडीए वी. में। स्किपर कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड , (1996) 4 एससीसी

622 , इस न्यायालय ने पहले के कई मामलों का संदर्भ देने के बाद

निर्णय लिए गएः (एस. सी. सी पी. 636, पैरा 18)

“ 18. ... .

सिद्धांत रूप में कि जो लोग निषेध की अवहेलना करते हैं उन्हें करना चाहिए

यह दावा करने में सक्षम नहीं होना कि उनकी अवज्ञा का फल अच्छा है,

*,,

और उन्हें पैदा करने वाली अवैधता से दूषित नहीं।

- राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

28. गुरुनाथ मनोहर पावस्कर बनाम। नागेश सिद्दप्पा

नवलगुंड, (2007) 13 एस. सी. सी. 565, इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कि प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन हुआ था, पक्षकारों को वापस ला सकता है

वही स्थिति जैसे कि निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। 29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश की जानकारी के बावजूद किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित कोई भी आदेश

न्यायालय का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह एक शून्य बना हुआ है।

इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति ने भारतीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ था। नतीजतन, प्रत्यर्थी, एलिमेंटा एस. ए., मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित इस तरह के निर्णय को लागू करने के लिए भारतीय न्यायालय से संपर्क नहीं कर सके।

72. हालाँकि इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, अंततः इसने नाफेड की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, और यह अपीलार्थी के लिए प्रासंगिक समय पर सवाल उठाने के लिए खुला था जब इस अदालत ने वर्ष 1987 में मामले का फैसला किया था। इस अदालत ने मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। इस प्रकार, हमारी राय है कि हालांकि एफ. ओ. एस. एफ. ए. के लिए इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का पालन करना उचित होता, लेकिन जिन कार्यवाही में अस्थायी आदेश दिए गए थे, उन्हें वर्ष 1987 में खारिज कर दिया गया था। उस समय, सवाल को उत्तेजित करने की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने 1987 में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। उक्त प्रश्न उस स्तर पर उठाए जाने चाहिए थे; हम अपीलार्थी को अब उन्हें उठाने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए, इस स्तर पर, हम ऊपर बताए गए तर्क के गुण-दोषों पर विचार करने और उनकी जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। 73. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि नाफेड को मध्यस्थता न्यायाधिकरण या अपील बोर्ड में कोई कानूनी प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं थी। एफ. ओ. एस. एफ. ए. नियमों का नियम 3 पक्षकारों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व करने से रोकता है। हालांकि, नियम 6 अपील बोर्ड को विशेष रूप से पक्षकारों को कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति देने का अधिकार देता है।

परिस्थितियाँ। नाफेड अपने वकील मेसर्स के माध्यम से। क्लाइड और कंपनी ने कानूनी अनुमति देने के लिए 16.1.1990 और 13.5.1990 पर पत्र जमा किए

प्रतिनिधित्व। हालाँकि, अपील बोर्ड द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस तरह के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि [2020] 7 एस. सी. आर. का बचाव करने का उचित अवसर।

ईडी का खर्च वहन नहीं किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, सुब्रमण्यम बनाम पर निर्भरता रखी गई थी। सीमा शुल्क कलेक्टर, कोच्चि (1972) 3 एस. सी. सी. जिसमें अदालत ने कहाः

" 6. सेवा से हटाना एक बड़ा जुर्माना है। के लिए प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 15 में बड़े दंड लगाने का प्रावधान है। के उप-नियम (5)

यह नियम प्रदान करता हैः

आरोपों की जांच करना (इसके बाद जांच प्राधिकरण के रूप में संदर्भित)। सरकारी कर्मचारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी सरकारी कर्मचारी की सहायता से अपना मामला पेश कर सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए एक कानूनी व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं कर सकता है जब तक कि उपरोक्त अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा नामित व्यक्ति एक कानूनी व्यवसायी न हो या जब तक कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुएः मामला, तो अनुमति देता है "।

प्रशिक्षण। किसी भी तरह से, यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलार्थी को कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त था। इसके अलावा, जब किसी व्यक्ति पर गंभीर परिणाम वाले नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो वह अपने मामले को उतना अच्छा पेश करने की स्थिति में नहीं होता जितना होना चाहिए। आरोप अपीलार्थी के खिलाफ उसकी आजीविका को ही खतरा था। उनके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल फैसला उनके लिए विनाशकारी होना तय था, जैसा कि यह साबित हुआ है। ऐसी स्थिति में, उनसे शांति से और विचार-विमर्श के साथ कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि नियम 15 (5) में एक सरकारी कर्मचारी के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है।

कर्तव्य में लापरवाही या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी द्वारा या उचित मामलों में किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा नियम का उल्लंघन।

24. ऊपर वर्णित कारणों से, हम सोचते हैं कि नियम 15 (5) का उल्लंघन किया गया था। हमारी यह भी राय है कि अपीलार्थी को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए विवादित आदेश को निरस्त किया जा सकता है और इसे निरस्त किया जाता है।

इस मामले के तथ्य राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन नहीं हैं।

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

जैसे कि अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी नई जांच को उचित ठहराने के लिए। इसलिए

हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई नई जांच नहीं की जाएगी।

के हकदार हैं लेकिन विवादित आदेश के लिए। अपील तदनुसार है अनुमति दी गई। अपीलार्थी उत्तरदाताओं से अपने खर्च का हकदार है।

इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में भी। बॉम्बे बंदरगाह के न्यासी मंडल का निर्णय v.

दिलीप कुमार राघवेंद्रनाथ नाडकर्णी और अन्य। (1983) 1 एससीसी 124

जिस पर भरोसा किया गया है, जहां यह आयोजित किया गया थाः

" 9. हम इस मामले में एक संकीर्ण प्रश्न के साथ खुद को चिंतित करते हैं।

क्या घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह की अनुशासनात्मक जांच में,

कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करना, अपराधी कर्मचारी, यदि वह उपस्थित होने और बचाव करने की अनुमति मांगता है

स्वयं एक कानूनी व्यवसायी द्वारा, इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा जाँच को इस आधार पर दूषित करें कि अपराधी कर्मचारी ने

अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया,

इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के आवश्यक सिद्धांतों में से एक को दूषित करना। "

(जोर दिया गया)

74. यह विवादित नहीं है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष, नियम

कानूनी प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है; इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष गैर-प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुतिकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, एक कानूनी फर्म के माध्यम से प्रतिनिधित्व की अनुमति देने से इनकार करने के कारण अपील में, नाफेड सक्षम नहीं था इसके कारण हुए पूर्वाग्रह को इंगित करने के लिए। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व न किए जाने के कारण हुए पूर्वाग्रह के प्रमाण के अभाव में और यह दिखाने के लिए कि यह अपने विचार रखने में अक्षम था, हम इस आधार पर पुरस्कार को दरकिनार नहीं कर सकते कि कानूनी प्रतिनिधि की सहायता की अनुमति देना उचित होता। इस प्रकार, हम उपरोक्त आधार पर पुरस्कार को अप्रवर्तनीय बनाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

75. नाफेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील भी

तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा नामित मध्यस्थ श्री ए. जी. स्कॉट ने पुरस्कार दिया और उसके बाद, अपील बोर्ड के समक्ष एलिमेंटा एस. ए. के वकील के रूप में पेश हुए। इस प्रकार, अपील में उनकी भागीदारी कानूनी रूप से खराब थी। वह अपने पुरस्कार का बचाव नहीं कर सकते थे और निष्पक्षता के बुनियादी मानदंडों को तोड़ नहीं सकते थे। यह कार्रवाई न्याय की अवधारणा के खिलाफ थी और प्रक्रिया के नियम, जैसा कि पंजाब और अन्न राज्य में देखा गया है। वी. शामलाल मुरारी और अन्न। , (1976) 1 एस. सी. सी. 719, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार पाया किः

निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक की तीन प्रतियां नहीं हैं। यह चूक या चूक केवल एक उल्लंघन है जिसे एक समय के भीतर शर्त को पूरा करने वाले पक्ष द्वारा आवेदन पर माफी द्वारा ठीक की जाने वाली अनियमितता के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। अदालत ने अनुमति दी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, बाधा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक सहायता है। यह बुद्धिमानी से देखा गया है कि प्रक्रियात्मक

प्रिस्क्रिप्शन नौकरानी होती है न कि मालकिन, एक स्नेहक, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं। जहां गैर-अनुपालन, प्रक्रियात्मक, निष्पक्ष सुनवाई या पक्षों के साथ न्याय करने के पूर्वाग्रह को विफल कर देगा, नियम अनिवार्य है। लेकिन, व्याकरण के अलावा, यदि उल्लंघन को मामले के न्यायसंगत निपटारे के लिए नुकसान के बिना ठीक किया जा सकता है, तो हमें एक नियामक आवश्यकता को एक प्रमुख इच्छा में नहीं डालना चाहिए। आखिरकार, अदालतों को न्याय करना है, न कि तकनीकी आधार पर इस अंतिम उत्पाद को बर्बाद करना है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो अनिवार्य माना जाता है पारंपरिक रूप से, शायद, समय पर या विस्तारित समय में अनुपालन के लिए स्वस्थ दिशाओं में नियंत्रित किया जाना चाहिए। चाहे जो भी हो, और प्रक्रियात्मक शर्तों के वास्तविक पद की खोज को एक पल के लिए नजरअंदाज करते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 3 का सार यह नहीं है कि तीन प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए, बल्कि उस मुकदमे में निर्दिष्ट सभी तीन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम आगे महसूस करते हैं कि अदालत को, यदि उसे लगता है कि यह आवश्यक है, तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यदि प्रतियां आवश्यक संख्या से कम हो जाती हैं तो नियम के औपचारिक अनुपालन के लिए और समय देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से और इंगित सीमा तक, हम बिक्रम दास के मामले, ए. आई. आर. 1975 पुंज और हर 1 (एफ. बी.) में निर्णय को खारिज करते हैं। राष्ट्रीय कृषि सहयोगात्मक विपणन

भारत संघ v. ALIMENTAS.A। [अरुण मिश्रा, जे।]

76. विद्वान वकील ने भी कैलाश बनाम पर भरोसा किया। नानखु और ओआरएस। ,

5) 4 एस. सी. सी. 480, जिसमें अदालत ने कहाः

" 28. प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की दासी हैं। प्रक्रियात्मक कानून के प्रारूपक द्वारा नियोजित भाषा हो सकती है -

उदार या कठोर, लेकिन तथ्य यह है कि का उद्देश्य

प्रक्रिया निर्धारित करना न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। एक में

प्रतिकूल प्रणाली, किसी भी पक्ष को आम तौर पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए न्याय वितरण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर। जब तक कानून की स्पष्ट और विशिष्ट भाषा द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है,

सी. पी. सी. या किसी अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियम के प्रावधानों को

इसका इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जो अदालत को छोड़ दे

न्याय के लिए असाधारण परिस्थितियों का सामना करने में असहाय।

कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा सुशील कुमार सेन में की गई टिप्पणियाँ

वी. बिहार राज्य, (1975) 1 एस. सी. सी. 774 प्रासंगिक हैंः (एस. सी. सी पी. 777 , पैरा 5-6)

" कानून के हाथों न्याय की मृत्यु एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और गुस्से में पूछताछ की ओर इशारा करती है

कानून सुधारक।

प्रक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों में इस तरह हावी है कि मूल अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी हो जाता है। द. मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया कानूनी न्याय की दासी होनी चाहिए, न कि मालकिन, न्यायाधीशों को पूर्व-ऋण न्यायसंगत कार्य करने के लिए एक अवशिष्ट शक्ति सौंपने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है जहां दुखद अगली कड़ी अन्यथा पूरी तरह से असमान होगी।

न्यायशास्त्र का लक्ष्य प्रक्रियात्मक है, जितना कि

मौलिक "।

29. पंजाब राज्य में v. शामलाल मुरारी, (1976) 1 एस. सी. सी. 719,

न्यायालय ने बिना किसी त्रुटि के दृष्टिकोण को मंजूरी दी स्वस्थ दिशाओं में मध्यस्थता करना जिसे माना जाता है

" प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, एक बाधा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक सहायता है। प्रक्रियात्मक प्रिस्क्रिप्शन हैं दासी और मालकिन नहीं, एक स्नेहक, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं।

घनश्याम दास बनाम। डोमिनियन ऑफ इंडिया, (1984) 3 एस. सी. सी. 46,

न्यायालय ने विशेषण के एक भाग की व्याख्या करने की आवश्यकता को दोहराया

अकेले प्रक्रिया से निपटने वाली विधि इस तरह से कि न्याय के कारण को सभी के रूप में पराजित करने के बजाय कम किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके

प्रक्रिया के कानून इस सिद्धांत पर आधारित हैं। "[2020] 7 एस. सी. आर.

77. प्रत्यर्थी की ओर से, एफ. ओ. एस. एफ. ए. द्वारा जारी किए गए 17.11.2011 दिनांकित पत्र में कहा गया था कि भले ही एफ. ओ. एस. एफ. ए. के नियम मौन हैं। के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले प्रथम स्तर के मध्यस्थ के मुद्दे पर

दूसरे स्तर में पक्षकार, अर्थात, अपीलीय स्तर पर, यू. के. में प्रासंगिक समय पर प्रचलित प्रथा ने इसकी अनुमति दी। एफ. ओ. एस. एफ. ए. ने पत्र में उल्लेख किया कि एफ. ओ. एस. एफ. ए. से पहले के मामलों में कई पक्षों ने संबंधित व्यक्तिगत मध्यस्थ के समझौते के साथ इस तरह की नियुक्ति करने के लिए चुना, और यह प्रथा प्रचलित थी।

78. मध्यस्थ अपीलीय चरण में उपस्थित हुआ, हालांकि, के अनुसार

भारतीय कानून और नैतिक मानकों के अनुसार, मध्यस्थ अपने द्वारा पारित मध्यस्थता पुरस्कार का बचाव करने के लिए दूसरे चरण में उपस्थित नहीं हो सकता था, और उसे अलग रहना चाहिए था। हालांकि, आपत्ति को साबित करने के लिए कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है।

प्रासंगिक समय पर यू. के. में अभ्यास और कानून। इसलिए हम इस मामले में निर्णय लेने के इच्छुक नहीं हैं। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ को नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए, और हमारे विचार में, बाद की न्यायिक कार्यवाही में उसके द्वारा पारित मध्यस्थता वार्ड का बचाव नहीं करना चाहिए था।

79. ब्याज की दर को 10.5% से 11.25% तक बढ़ाने के लिए अपील बोर्ड के बारे में भी सवाल उठाया गया था। हम मानते हैं कि अपील के अभाव में ब्याज बढ़ाने के लिए अपील बोर्ड के लिए खुला नहीं था। जैसा कि हमने विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 के तहत पुरस्कार को अप्रवर्तनीय माना है, अन्य प्रस्तुति निर्णय के लिए जीवित नहीं रहती है।

80. नतीजतन, यह पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से अवैध है, और मौलिक कानून के उल्लंघन में, सरकार की अनुमति के बिना कोई निर्यात नहीं है

81. इस प्रकार नाफेड द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जाती है, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया जाता है। पुरस्कार को अप्रवर्तनीय माना जाता है। कोई लागत नहीं। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।